



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की सातवीं रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SMT. NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 7th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2019-20), 17TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.

सितंबर, September, 2020

विषय- सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	SI No.	Page No.
1.	श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	1.	i.
2.	अनुबंध - दिनांक 12 मार्च, 2020 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति) की 2020-21 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की सातवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट ।	2.	59-109
3.	अनुलग्नक - क	3.	110
4.	अनुलग्नक - ख	4.	111

आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग
संबंधी अनुदान की मांगों (2020-21) के संबंध में वित्त संबंधी
स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 07वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों
के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा
लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 01 सितंबर, 2004 के जरिए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-क के अनुसरण में आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 07वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देना अपना सौभाग्य मानती हूँ।

अनुदान की मांगों की जांच के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 07वीं रिपोर्ट 12 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और सोलह (16) सिफारिशों की हैं जो मुख्यतः दीर्घावधिक पेंशन देयता, सुप्रवाही बजटीय आबंटन, सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु निष्पक्ष सर्वेक्षण, निधियों का कम उपयोग, बजट आबंटन में वित्तीय अनुशासन, विश्लेषणात्मक बजट प्रतिरूपण का सुदृढीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बृहत मॉडल विकसित करने संबंधी सम्मिलित प्रयास, बैंकिंग क्रेडिट, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को तत्काल भुगतान, बैंकिंग प्रणाली में अभिशासन संबंधी सुधारों, रू-पे कार्ड का वैश्वीकरण तथा राष्ट्रीय अवसंरचना और निवेश निधि (एनआईआईएफ) और व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) आदि से संबंधित हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। समिति द्वारा 07वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगी। मैं अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

STATEMENT BY SMT NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE,
IN THE LOK SABHA
REGARDING THE STATUS OF THE IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE
7th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE
(17TH LOK SABHA)
ON DEMANDS FOR GRANTS (2020-21)
RELATING TO THE DEPARTMENT OF THE ECONOMIC AFFAIRS,
EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES & DEPARTMENT OF INVESTMENT
AND PUBLIC ASSET MANAGEMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the **7th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha)** relating to Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Department of Investment and Public Asset Management in pursuance of direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha vide Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September, 2004.

The 7th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2020-21) of Ministry of Finance was laid on 12th March, 2020 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues and Sixteen (16) recommendations pertaining to Long term pension liability, Channelized Budgetary allocation, Independent survey to evaluate impact of Government programmes, under-utilisation of funds, financial discipline in allocation of Budget, strengthening analytical budget modelling, concerted efforts to develop macro models for Indian economy, banking credit, prompt payment to MSME sector, governance reforms in banking system, globalising Ru-pay Card and fund allocation to National Infrastructure and Investment Fund(NIIF) and Viability Gap Funding(VGF) etc. have been made.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report have been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 7th Report is indicated in Annexure.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

अनुबंध

वित्त मंत्रालय के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2020 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में रखी गई वित्त संबंधी स्थायी समिति की 7वीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टीका-टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	सिफारिश सं०	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	1	मांग सं. 37 केंद्रीय नागरिक पेंशन भुगतान से संबंधित एक समय अनुदान है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का वास्तविक व्यय वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। समिति ने सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार सामान्य रूप से हमारी दीर्घकालिक देनदारियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों का व्यापक अध्ययन कर सकती है।	<p>एमएच: 2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के तहत वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक व्यय 27558 करोड़ रुपए से बढ़कर 50093 करोड़ रुपए (विनियोग लेखा चरण II के अनुसार) अर्थात् पिछले पांच वर्षों में 82% हो गया है। व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से 7वें सीपीसी द्वारा पेंशन में संशोधन करने और नियोक्ता/ सरकार के अंशदान की दर में डीसीपीएस के 10% से 14% तक की वृद्धि के कारण है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उपर्युक्त मुख्य शीर्ष के तहत संभावित दीर्घकालिक देयता 62125 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) की है जो वित्त वर्ष 2029-30 में 170282 करोड़ रुपए अर्थात् आगामी 10 वर्षों में 175% तक बढ़ सकती है। सामान्यतया महंगाई भत्ते (डीए) के वर्ष में दो बार बढ़ने के पिछले रुझान को देखते</p>	स्वीकृत	

			हुए औसत वृद्धि की गणना 10% प्रति वर्ष की दर से की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2026-27 में अपेक्षित वेतन आयोग को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए 10% अतिरिक्त वृद्धि पर विचार किया गया है।		
2	2	समिति को केंद्रीय बजट 2020-21 दस्तावेज से यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रमुख क्षेत्रों में सं.अ.2019-20 की तुलना में ब.अ.2020-21 के दौरान में परिव्यय में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आकांक्षी भारत क्लस्टर जिसके के अंतर्गत शैक्षिक और कौशल विकास, कल्याण, जल स्वच्छता, कृषि आते हैं, में 2019-20 के सं.अ.की तुलना में 2020-21 के परिव्यय में 33,292 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग, बीमा, इंफ्रा फाइनेंस आदि) में सं.अ.2019-20 की तुलना में 2020-21 परिव्यय में 16747 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास, नई अर्थव्यवस्था और देखभाल सोसायटी समूहों के तहत आवंटन में भी मात्रात्मक वृद्धि देखी गयी है। इस संबंध में, समिति सरकार से अपेक्षा करती है कि वह बजट के अभीष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए बजटीय आबंटनों का सही ईमानदारी से	<p>संकेंद्रित रूप में बजटीय आवंटन के उपयोग पर वित्त पर स्थायी समिति की सिफारिशों या अवलोकनों को नोट कर लिया गया है।</p> <p>2017-18 से बजट दस्तावेजों में सूचित किए जाने वाले मंत्रालयों की योजनाओं के वित्तीय परिव्यय के साथ-साथ, एक समेकित आऊटकम बजट दस्तावेज में बजट के साथ योजनाओं के अपेक्षित आऊटपुट तथा आऊटकम भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह परिव्यय किया गया कार्य तथा परिणाम संसद के समक्ष औसतन रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों के लिए बड़ी जवाबदेही में पेश किए जा रहे हैं। परिव्यय वह राशि है जो बजट में दी गई किसी योजना अथवा परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाती है; जबकि आऊटपुट कार्यक्रम की गतिविधियों के प्रत्यक्ष तथा औसतन कार्यान्वयन के लिए है, जिसे अक्सर भौतिक रूप अथवा इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। आऊटकम वे चयनित परिणाम अथवा गुणात्मक संशोधन हैं जो इन सेवाओं को पहुंचाने से मिलते हैं। आऊटकम बजट प्रस्तुत करता है (क) वर्ष का वित्तीय परिव्यय (ख) स्पष्ट रूप से परिभाषित आऊटपुट तथा आऊटकम (ग) औसतन</p>	अनुपालन के लिए स्वीकार किया गया।	

		<p>और केन्द्रित तरीके से दोहन/उपयोग करे। इस समय, समिति बताना प्रासंगिक समझती है कि बजट प्रावधानों को कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे राज्यों और अभीष्ट लाभार्थियों के लिए परिहार्य कठिनाई उत्पन्न न हो। उदाहरणार्थ, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने धान की खरीद की क्योंकि एफसीआई का शासनादेश सब्सिडी के रूप में करीब 90 फीसद की उपलब्ध कराना है। चूंकि केंद्र सरकार से सब्सिडी नहीं आ रही है, इसलिए भारतीय खाद्य निगम राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को भुगतान करने में असमर्थ है। राज्य निगम इस बीच धान खरीदने के लिए बैंकों से लिए गए ऋण के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान कर रहा है।</p>	<p>आऊटपुट तथा आऊटकम संकेतक और (घ) विशेष आऊटपुट तथा आऊटकम लक्ष्य । यह विशेष रूप से पारदर्शिता, पूर्वानुमेयता तथा सरकार के विकास कार्यक्रम की सहजता को बढ़ाएगा। इस अभ्यास के माध्यम से, सरकार मात्र परिव्यय से परिणामोन्मुखी आऊटपुट तथा आऊटकम में परिवर्तन के द्वारा शासन का खुला, जिम्मेदार, अग्रसक्रिय तथा उद्देश्यपूर्ण स्वभाव अपनाने का लक्ष्य रखती है। यह प्रयास मंत्रालयों को योजना विकल्पों को खोजने तथा उनके द्वारा निर्धारित किए गए विकास के लक्ष्यों के कार्य करने का अधिकार देगा। इस दस्तावेज में 500 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक परिव्यय के मुख्य केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) योजनाओं तथा केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के लिए आऊटपुट - आऊटकम रूपरेखा है।</p>		
3	3	<p>समिति आगे नोट करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एमजीएनआरईजी), अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और अम्ब्रेला कार्यक्रम जैसी कुछ प्रमुख योजनाओं को छोड़कर, अन्य सभी प्रमुख</p>	<p>व्यय विभाग ने दिनांक 17.08.2019 के अपने का.ज्ञा. सं. 66(59)/पीएफसी.11/2018 तथा तत्पश्चात् अलग-अलग अनुस्मारक/ सुझाव देने के बाद, सभी मंत्रालयों/ विभागों को 15वें वित्त आयोग की चक्र अवधि के लिए योजनाओं/ कार्यक्रमों को जारी रखने से पहले सभी सार्वजनिक वित्त-पोषित योजनाओं या कार्यक्रमों का स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया है।</p>	स्वीकृत	

	<p>योजनाओं में 2019-20 के आवंटन की तुलना में 2020-21 के बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए कुछ योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), जल जीवन मिशन (जेजेएम), पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) आदि हैं जिन्हें 2019-20 के संशोधित प्राक्कलन (आरई) में क्रमशः 5430 करोड़ रुपए, 2172 करोड़ रुपए, 1499 करोड़ रुपए, 3115 करोड़ रुपए, 20630 करोड़ रुपए और 1287 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ आवंटन मिला है। इस संबंध में, समिति यह उल्लेख करना उचित समझती है कि विभिन्न सामाजिक योजनाओं के तहत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/ स्थानांतरण प्रणाली जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली/ पीएफएमएस लागू करने के बावजूद वांछित लाभार्थियों तक पहुँचना एक चुनौती बना हुआ है। लाभार्थी/ खाताधारक को बैंक खाते के संचालन के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई मामलों में विशेष रूप से</p>	<p>नीति आयोग को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किया जा रहा है। वय्य विभाग ने दिनांक 22.5.2019 के अपने का.जा. सं. 66(59)/पीएफसी.11/2018-पार्ट द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक नमूना टीओआर भी जारी किया है जिसके अनुसार तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन द्वारा (i) लाभार्थियों द्वारा अपने बैंक खातों को देखने में लिया जाने वाला समय; (ii) लाभार्थियों को सूचित करने की योजना के तहत प्रणाली के संबंध में आउटपुट-डेटा प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।</p> <p>योजनाओं/ कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट पर 15वें वित्त आयोग चक्र में योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के समय विचार किया जाएगा। इन मूल्यांकन रिपोर्टों में सूक्ष्म स्तर पर सरकारी याजनाओं के प्रभाव का विवरण दिया जाएगा।</p>		
--	---	---	--	--

		<p>दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में, खाताधारक को यह जानकारी नहीं होती है कि धन उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए समिति सूक्ष्म/ क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए सरकार से एक स्वतंत्र सर्वेक्षण/ लेखा-परीक्षा कराने के लिए पूरे देश से सटीक आंकड़े एकत्र करने का आग्रह करना चाहेगी। इस संबंध में समिति को राज्यवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।</p>			
4	4.	<p>समिति नोट करती है कि 2017-18 में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) मांग सं. न. 27 के लिए बजट परिव्यय कुल 15455.84 रुपये था और इसे स.अ. चरण में बढ़ाकर 15690.42 रुपये (234.58 करोड़ रुपये की वृद्धि) किया गया; हालांकि, वास्तविक व्यय 9490.22 करोड़ रुपये था जिसके परिणामस्वरूप उपयोग में 6200.20 करोड़ रुपये की कमी आई। इसी मांग के तहत, 2018-19 में, सं.अ. और वास्तविक व्यय में 8860.75 करोड़ रुपये (उपयोग में कमी) का अंतर था। वास्तविक व्यय में कमी के कारणों के स्पष्टीकरण में डीईए ने</p>	<p>2017-18 के दौरान, मूल अनुदान ₹15455.84 करोड़ था। इसे ₹234.58 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15690.42 करोड़ कर दिया गया था। इसके विपरीत, वास्तविक व्यय ₹9490.22 करोड़ हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹6200.20 करोड़ की बचत हुई। इस बचत के कारण निम्नवत थे:-</p> <p>(i). एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के प्रावधान को मुख्य शीर्ष - 2075 में बदले जाने के कारण;</p> <p>(ii). राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने हेतु वाणिज्यिक पूंजी के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के साथ करार को अंतिम रूप न दिया जाना।</p>	स्वीकृत	---

		<p>स्थापना मामलों पर कम व्यय, लोगों की कम भागीदारी और वित्तीय वर्ष के अंतिम कुछ महीनों के दौरान स्वर्ण और मुद्रिकरण योजना 2015 शुरू करना आदि बताया। विभाग ने यह भी बताया कि अधिकांश बचत मुख्यतः बजट के बाद के निर्णयों/योजनाओं/विनिमय दर विविधताओं को गैर-अंतिम रूप देने के कारण हुई थी जिसका अनुमान बजट तैयार करने के समय नहीं लगाया जा सकता था। समिति आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी भारी बजटीय अंतर के लिए प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। समिति यह समझने में असमर्थ है कि केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए नोडल विभाग उन योजनाओं के लिए बड़े आवंटन कैसे कर सकता है, जिन्हें बजट अनुमान तैयार करते समय अंतिम रूप नहीं दिया गया था। समिति की चाहती कि बजट अनुमान अधिक परिश्रम और अधिक वस्तुनिष्ठता के साथ तैयार किए जाने चाहिए।</p>	<p>2. 2018-19 के दौरान मूल अनुदान ₹18329.46 करोड़ था। इसे ₹13481.48 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹31810.94 करोड़ कर दिया गया था। इसके विपरीत, वास्तविक व्यय ₹22950.19 करोड़ हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹8860.75 करोड़ की बचत हुई। इस बचत के कारण निम्नवत थे-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i). व्यावसायिक सेवाओं, विज्ञापन एवं प्रचार, प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यालय व्यय), चिकित्सा, एलटीसी छुट्टी नकदीकरण जैसे स्थापना मामलों संबंधी कम व्यय; (ii). 'डेबिट कार्डों के जरिए धन संग्रहण पर आई लागत' का इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को अंतरण; (iii). राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) का राजस्व भाग से पूंजी भाग में तकनीकी अंतरण; (iv). वित्त वर्ष के पिछले कुछ महीनों के दौरान स्वर्ण मुद्रिकरण स्कीम, 2015 में लोगों और संस्थाओं की अपेक्षाकृत कम भागीदारी। <p>3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बड़ी बचत का कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों का कम उठान/मांग सूची का ऊर्ध्ववर्ती संशोधन, भारतीय कार्यनीतिक एवं सामाजिक संरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)</p>	
--	--	---	---	--

			<p>तथा राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) के अंतर्गत योजना को अंतिम रूप न दिया जाना थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक 3000.00 करोड़ रुपये का केन्द्रीय प्रावधान “नई योजना” शीर्ष के अंतर्गत 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान नई घोषणाओं हेतु किया गया था। तथापि, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई थीं तथा आर्थिक कार्य विभाग के स्थान पर उन मंत्रालयों/विभागों में पूरक अनुदानों इत्यादि के जरिए उपयुक्त वृद्धि प्रदान की गई थी। अन्य मंत्रालयों/विभागों में पूरक के जरिए प्रावधानों में बदलाव के परिणाम स्वरूप आर्थिक कार्य विभाग में बचत हुई है। उधार हेतु नई व्यवस्था (एनएबी) के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण भी बचत हुई। चूंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से मांगे प्राप्त होने पर उनका तत्काल भुगतान किया जाना अपेक्षित है अतः बजट में पर्याप्त प्रावधान आवश्यक है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की बाध्यताओं को पूरा करने में कोई कमी न रहे क्योंकि किसी भी कमी से मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय करार का उल्लंघन होगा। विनिमय दर में अंतर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के तहत अभिदान/भुगतानों की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।</p> <p>4. वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए उक्त व्याख्या से यह अवलोकित किया जा सकता है कि निधियां वास्तविक मांग पर की गई थीं तथा आर्थिक</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>कार्य विभाग के बजट निरूपण में कोई भी असंगति होना प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त बजट आबंटन का वितरण करते समय, समय-समय पर जारी व्यय प्रबंधन हेतु व्यय विभाग के दिशानिर्देशों तथा पिछले वर्ष की व्यय प्रवृत्ति एवं भारतीय रुपये की विनिमय दर परिवर्तनशीलता इत्यादि का भी विचार किया जाता है।</p> <p>5. तथापि, उपर्युक्त और स्थायी वित्त समिति की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस बार (वित्त वर्ष 2020-21) आवश्यकता का तथ्यपरक अनुमान लगाने के अधिक प्रयास किए गए हैं ताकि आबंटित निधि का अधिकतम उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए:-</p> <p>(i) 'नई स्कीमों' और 'भारतीय कार्यनीतिक और सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम में निवेश (आईएसएसआईएफसी)' के लिए केवल सांकेतिक प्रावधान किया गया है।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) लिमिटेड में निवेश के लिए प्रावधान और उसके प्रबंधन शुल्क को घटाकर ₹503.01 करोड़ कर दिया गया है।</p> <p>(iii) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए प्रावधान घटाकर ₹1500.00 करोड़ कर दिया गया है।</p> <p>6. यह सूचित किया जाता है कि आम तौर पर बजट</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>परिव्यय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजनाओं के अनुमोदन पर विचार करते हुए कार्यान्वयन हेतु डिवाइसिंग मैकेनिज्मके अनुमानों से तैयार किया जाता है।</p> <p>हालांकि, शीघ्र योजना कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि विस्तृत योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देशों को लागू करना, कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, धनराशि जारी करने से पहले विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन आदि। कुछ मामलों में, प्रत्याशित परिणामों की तुलना में सुस्त प्रतिक्रिया के योजनाओं की शुरुआत धीमी होती है। परिणाम के रूप में, ये कारक बजट अनुमानों के समय किए गए धन के कम उपयोग में योगदान करते हैं।</p> <p>तथापि, बजट आवंटन और उपयोग के बीच बड़े असंतुलन से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं।</p>		
5	5	<p>अनुदानों की मांगों की सुनवाई के दौरान उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के अनुसार, आर्थिक कार्य विभाग स्प्रेडशीट आधारित मॉडलिंग का उपयोग करके हर साल बजट तैयार करता है। निम्नलिखित कारकों को देखते हुए यह मॉडलिंग दृष्टिकोण अपर्याप्त प्रतीत होता है: (1)</p>	<p>समिति की सिफारिशों को नोट कर लिया गया है। यह बताया जाता है कि अनुमान सामान्यतः स्थिर : कीमतों, नियमित आपतन, योजित भुगतान और परिपक्वता से उत्पन्न भुगतानों पर निर्भर होकर बनाया जाता है। अनुमानों को अंतिम रूप देते हुए आकस्मिक तत्वों को भी कारक माना जाता है। हालांकि, असामान्य स्थितियों से उत्पन्न हुए भ्रष्टाचार बदलावों जैसे विनिमय दर बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और बाजार से</p>	स्वीकार किया गया।	

		<p>तेल की कीमतों, वैश्विक ब्याज दरों, और चल रहे कोरोनावायरस महामारी जैसे झटके सहित प्रमुख बहिर्जात मापदंडों में व्यापक बदलाव: (2) वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह में उतार-चढ़ाव: (3) स्पेक्ट्रम राजस्व और विनिवेश आय जैसे पृथक मद का सटीक अनुमान करने में मुश्किल: और (4) पेंशन और ब्याज खर्च जैसे प्रमुख व्यय का गलत आकलन, इसके अलावा, मामूली सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति की दर भी बजटीय मान्यताओं से काफी अलग हो सकती है। इन जोखिमों और अनिश्चितताओं को देखते हुए विभाग को अपनी विश्लेषणात्मक मॉडलिंग क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है।</p>	<p>संबंधित ब्याज दरों को पूर्वानुमानित आकलन एवं यथावत शामिल नहीं किया जा सकता है। बजट के दौरान किए गए अनुमानों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है और अर्ध वार्षिक समीक्षा में अनुमानों में सुधार किया जाता है और इसको संशोधित अनुमानों में दर्शाया जाता है। हालांकि, समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा और आकलन के तरीके को उपयुक्त रूप से बदला जाएगा।</p>		
6	6	<p>समिति का मानना है कि आर्थिक कार्य विभाग को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत मैक्रो मॉडल विकसित करने के लिए विभिन्न बाहरी अनुसंधान संस्थानों (जैसे राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान अथवा राष्ट्रीय एप्लाइड</p>	<p>बजट तैयार करना वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया एक स्वतंत्र और संवेदनशील अभ्यास है। बजट के समग्र ढांचे को मोटे तौर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित राजकोषीय संकेतकों/रोलिंग लक्ष्यों द्वारा दिशा-निर्देशित किया जाता है। सरकार को राजकोष से संबंधित प्रति-चक्रीय नीतियों को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करने के साथ</p>	स्वीकार किया गया।	

		<p>इकोनॉमिक रिसर्च परिषद) के साथ काम करना चाहिए। इसके बाद इन मॉडलों का उपयोग विभिन्न आर्थिक परिदृश्यों को देखने और बजटीय मान्यताओं पर विभिन्न जोखिमों के निहितार्थों की जांच करने के लिए किया जा सकता है। ये मॉडल आर्थिक अनुदानों और बजट अनुमानों को तनाव-परीक्षण करने के लिए वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति और अन्य प्रमुख हितधारकों की सहायता भी कर सकते हैं। वास्तव में, दुनिया भर में हर प्रमुख अर्थव्यवस्था में कई ऐसे मॉडल आधारित अनुसंधान केंद्र हैं जो विश्वविद्यालय के आर्थिक विभागों, थिंक टैंक, केंद्रीय बैंकों और सरकार में हैं। यह आवश्यक है कि आर्थिक कार्य विभाग भारत मॉडलों के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी मॉडलों के लिए ऐसे अनुसंधान केंद्रों को विकसित करने के लिए ठोस प्रयास करे।</p>	<p>व्यय की गुणवत्ता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। सरकार का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि राजकोषीय स्थिति समेकन पथ के करीब बनी रहे।</p> <p>बजट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सकल कर राजस्व हेतु अनुमानों को मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह रोजकोषीय नीति रणनीति विवरण में लाया गया है। गैर-कर प्राप्ति के संबंध में, लाभांश प्राप्ति का अनुमान सीपीएसयू और समग्र अर्थव्यवस्था के निष्पादन पर आधारित है। ब्याज प्राप्ति एक निश्चित रिटर्न होती हैं और बकाया ऋण पर आधारित होती हैं।</p> <p>उपरोक्त के बावजूद, विषय आधारित और प्रसंग पर मार्गदर्शन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जैसे संस्थानों से हमेशा परामर्श लिया जाता है।</p>		
7	7	मांग सं.28, (व्यय विभाग), वस्तु शीर्ष,	समिति की सिफारिशों के संबंध में, यह बताया जाता है	स्वीकृत	

		<p>मुख्य शीर्ष सं. 3475/2070/2052) के तहत, बजट आवंटन की तुलना में उपयोग में 2017-18 के बाद से लगातार कमी आई है। व्यय विभाग द्वारा दिए गए कारणों में पीएफएमएस के उन्नयन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद में विलंब, अपेक्षित तकनीकी जनशक्ति को काम पर रखने में विलंब, समय पर खरीद प्रक्रिया को पूरा न करना, पीएफएमएस के राज्य निदेशालय में स्वीकृत समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों को न भरना और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विलंब शामिल है। वर्ष 2017-18 के बाद से ये विलंब तीन साल से बना हुआ है। समिति को आशंका है कि विभिन्न सरकारी प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतिम उपयोगकर्ताओं/लाभार्थियों को भुगतान में देरी, व्यय विभाग द्वारा प्रबंधित पीएफएमएस के संबंध में उन्नयन में विलंब और साजो-सामान उपलब्ध न कराने के कारण हो सकती है। राज्यों, विक्रेताओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विलंब से भुगतान करना काफी दुखद है। इसलिए समिति की इच्छा है कि व्यय विभाग को</p>	<p>कि पीएफएमएस के लिए आईटी अवसंरचना की खरीद और तकनीकी जनशक्ति को काम पर रखने संबंधी दोनों पहलुओं पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में ध्यान दिया गया है। डाटा सेंटर (डीसी), शास्त्री पार्क, नई दिल्ली और डेटा रिकवरी सेंटर (डीआरसी), हैदराबाद के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की 96.247 करोड़ रुपये की लंबित खरीद पूरी हो चुकी है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए विभिन्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वस्तुओं की खरीद, प्रधानमंत्री-किसान योजना के कार्यान्वयन, पीएफएमएस के लिए एकीकृत अनुप्रयोग प्रदर्शन निगरानी उपकरण और 152 बिज़नेस लाइसेंस का कार्य वित्त वर्ष 2019-20 में पूरा किया गया था।</p> <p>इसके अलावा, 120 तकनीकी जनशक्ति को काम पर रखने के संबंध में, वर्तमान में 116 पेशवरों को लिया गया है और वे पीएफएमएस में काम कर रहे हैं।</p> <p>"आईटी (ओई)" के तहत 153.00 करोड़ रुपये के अंतिम आवंटन की तुलना में 142.94 करोड़ रुपये का व्यय बुक किया गया [लॉकडाउन के कारण परिवहन की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण 10.30 करोड़ रुपये बुक नहीं किए जा सके]। इसके अलावा, व्यावसायिक सेवाओं के तहत 22.6940 करोड़ रुपये के अंतिम आवंटन की तुलना में 22.1940 करोड़ रुपये बुक किए गए थे"।</p> <p>जनशक्ति/ एचआर मुद्दे</p> <p>सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) परियोजना का कार्यान्वयन पूर्ववर्ती योजना आयोग के</p>	
--	--	---	---	--

		<p>पीएफएमएस के संबंध में लंबित सभी कार्यों में तेजी लानी चाहिए ताकि बजट के आवंटन के उपयोग में और देरी और अनियमितता से बचा जा सके।</p>	<p>तहत शुरू किया गया था जिसे 2015 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। परियोजना के लिए 259 पद (84 समूह क पद, 169 समूह ख पद और 6 समूह ग पद) बनाए गए थे। यह परिकल्पना की गई थी कि पीएफएमएस परियोजना को लागू करने के लिए नए सृजित पदों को "सीजीए" प्रणाली के भीतर पहले से उपलब्ध अधिकारियों/ कर्मचारियों में से और शेष को प्रतिनियुक्ति द्वारा अधिकारियों से भरा जाएगा। तथापि, इसकी प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी के कारण, विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति से संबंधित, पदों को पूरी तरह से नहीं भरा किया जा सकता था और केवल समूह 'क' के सीमित पदों को ही सीजीए के संगठन से अधिकारियों को लेकर भरा जा सकता था। समूह 'ख' और 'ग' पदों को सीजीए के संगठन के अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।</p> <p>सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 29.07.2019 को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक के बाद और पीएफएमएस के संबंध में की गई सिफारिश कि यह केंद्रीय क्षेत्र योजना नहीं रहेगी और आउटपुट/ सुपुर्दगियों सहित पीएफएमएस की सभी गतिविधियां सीजीए के नियमित कार्यों का हिस्सा होंगी, एक एकीकृत और सुसंगत संगठनात्मक संरचना बनाने के लिए पीएफएमएस की जनशक्ति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।</p>		
8	8	समिति समझती है कि 31 जनवरी, 2020	समग्र बैंक ऋण प्रवृत्ति के संबंध में यह उल्लेखनीय है	स्वीकृत।	की गई

	<p>की स्थिति के अनुसार उद्योग (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े) में सकल बैंक ऋण 2817525 करोड़ रुपए था, जबकि मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 2885778 करोड़ रुपए थी यानी इसमें -2.4% की कमी आई; सूक्ष्म और लघु उद्योग में 375505 करोड़ रुपए की तुलना में यह 31 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार 373050 करोड़ रुपए था, यानी -0.7% की कमी थी। सामान्य तौर पर बैंकिंग क्रेडिट उठाव में गिरावट रही। समिति को उम्मीद है कि इस गिरावट को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा और बैंक क्रेडिट आने वाले समय में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा।</p>	<p>कि कारोबार तथा सरकार का भुगतान चक्र मार्च में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एकसमान होता है, चूँकि भुगतान और उधार चक्र संबद्ध हैं, मार्च में उधार की प्रवृत्ति चरम पर होती है। अतः ऋण की प्रवृत्ति के आंकलन की मानक पद्धति वर्ष दर वर्ष (अर्थात् 12 माहीने के अंतराल पर) आधार पर परिवर्तन को मापना है। वर्ष दर वर्ष आधार पर जनवरी, 2020 अथवा वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में मार्च, 2020 तक उद्योग (सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सहित) संबंधी ऋण में कोई कमी नहीं आई थी। ऋण की वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</p> <table><tr><th></th><th>उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)</th><th>सूक्ष्म और लघु उद्योग</th></tr><tr><td>जनवरी, 2019</td><td>27,50,038</td><td>3,71,022</td></tr><tr><td>जनवरी, 2020</td><td>28,17,525</td><td>3,73,050</td></tr><tr><td>मार्च, 2019</td><td>28,85,778</td><td>3,75,505</td></tr><tr><td>मार्च, 2020</td><td>29,05,151</td><td>3,81,825</td></tr></table> <p>33 अनुसूचति वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), जिनके द्वारा लगभग 90% गैर-खाद्य ऋण दिए जाते हैं, के संबंध में आरबीआई के ऋण आंकड़ों के क्षेत्र-वार विस्तार के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण के प्रवाह में सहायता प्रदान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित</p>		उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	सूक्ष्म और लघु उद्योग	जनवरी, 2019	27,50,038	3,71,022	जनवरी, 2020	28,17,525	3,73,050	मार्च, 2019	28,85,778	3,75,505	मार्च, 2020	29,05,151	3,81,825	<p>कार्रवाई के कॉलम में दिए गए कार्रवाई संबंधी ब्यौरे के अनुसार बैंकों को आने वाले समय में विकास इंजन की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है।</p>
	उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	सूक्ष्म और लघु उद्योग																
जनवरी, 2019	27,50,038	3,71,022																
जनवरी, 2020	28,17,525	3,73,050																
मार्च, 2019	28,85,778	3,75,505																
मार्च, 2020	29,05,151	3,81,825																

			<p>कदम उठाए गए हैं:-</p> <p>(1) उधार क्षमता को बढ़ाने को सुनिश्चित करने तथा रूकी हुई परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए नकद राशि उपलब्ध कराने हेतु,-</p> <p>(i) आरबीआई द्वारा मुक्त बाजार परिचालन के माध्यम से समग्र सकारात्मक तरलता का बनाए रखा गया है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी, सीमान्त मानक सुविधा के अंतर्गत निधियों तक अधिक पहुँच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक के बढ़ते ऋण को एनबीएफसी की नकदी कवरेज अनुपात के परिकलन हेतु उच्च गुणवत्ता वाली नकद आस्ति के रूप में मानना।</p> <p>(ii) एनबीएफसी क्षेत्र, जिनमें ऋण चूक की घटनाएं हुई हैं, को निम्नलिखित के माध्यम से ऋण के अधिक प्रवाह तथा नकद सहायता:-</p> <p>क. एनबीएफसी की उच्च रेटिंग वाली सामूहिक आस्तियों की खरीद के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना;</p> <p>ख. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को बैंक ऋण;</p> <p>ग. एनबीएफसी के समन्वय से बैंक द्वारा ऋण देना; और</p> <p>घ. एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋण संबंधी जोखिम भार को उधार लेने वाली एनबीएफसी के बाह्य ऋण रेटिंग से संबद्ध करना, जिससे बेहतर रेटिंग वाली एनबीएफसी को उधार दिए जाने को बढ़ावा मिला।</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(iii) निम्नलिखित के माध्यम से रुकी हुई आवासीय और रियल एस्टेट परियोजनाओं का वित्तपोषण-</p> <p>क. किफायती तथा मध्यम आय आवास क्षेत्र परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश निधि का गठन किया गया तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के साथ-साथ एनबीएफसी भी इस निधि से वित्तपोषण हेतु पात्र हैं; और</p> <p>ख. नियंत्रण से परे कारणों से लंबित वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाओं में वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) को एक वर्ष के पश्चात् आरंभ करने की अनुमति देना।</p> <p>(2) उधार देने को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने हेतु,-</p> <p>(i) निम्नलिखित के माध्यम से उधार दर को कम किया गया है:-</p> <p>क. बेंचमार्क रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में फरवरी, 2019 से लगातार कमी की गयी है, रिवर्स रेपो रेट में भारी कमी की गयी है ताकि उधार दर में कमी आ सके और उधार देने में वृद्धि हो सके; और</p> <p>ख. बेंचमार्क दर का लाभ उधार लेने वाले को स्वतः प्रदान करने के लिए खुदरा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उधार देने संबंधी नए फ्लोटिंग ऋण को रेपो रेट अथवा अन्य बाह्य बेंचमार्क से संबद्ध करना।</p> <p>(ii) निम्नलिखित के माध्यम से उधार देने को बढ़ावा दिया गया है:-</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>क. वैसी कारोबार इकाइयां, जो पीएसबी पर निर्भर हैं तथा जिनका बकाया ऋण 25 करोड़ रुपए तक तथा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है, को 3 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण देने के लिए दिनांक 29.2.2020 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण के 20% तक अतिरिक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराना;</p> <p>ख. पीएसबी द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त मार्जिन, प्रतिभूति अथवा प्रोसेसिंग शुल्क के आपातकालीन राहत के रूप में अतिरिक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना;</p> <p>ग. एमएसएमई के ऋण की पुनर्संरचना योजना;</p> <p>घ. एमएसएमई के ट्रेड-रिसिवेबल्स का प्रतिस्पर्धी शर्तों पर ऑनलाइन वित्तपोषण करने के लिए ट्रेड-रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म आरंभ किया गया है;</p> <p>ड. एमएसएमई ऋण तथा खुदरा ऋण बिना किसी संपर्क के शीघ्र तथा बिना किसी बाधा के डिजिटली आरंभ करने के लिए psb59minutes.com प्लेटफार्म आरंभ किया गया;</p> <p>च. ऑटोमोबाइल, आवासीय परियोजना तथा एमएसएमई को फरवरी से जुलाई, 2020 तक अधिकाधिक उधार देने के लिए बैंकों को उनकी सीआरआर अपेक्षा में राहत दी गयी, इससे उधार देने एवं इन प्रयोजनों को बढ़ावा मिला; और</p> <p>छ. ग्राहक ऋणों (क्रेडिट कार्ड के अलावा) पर जोखिम भार को कम किया गया, इससे खुदरा उधार को बढ़ावा मिला।</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(iii) ऐसे ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्रता का विस्तार करके आयात ऋण को बढ़ावा दिया गया; और</p> <p>(iv) एफडीआई प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को शामिल करने के लिए पात्रता का विस्तार करके बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए सुविधाएं दी गयी हैं तथा उधार की न्यूनतम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अपेक्षा में कमी की गयी है।</p>		
9	9	<p>समिति को सूचित किया गया है कि सरकार ने एमएसएमई के लाभ के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें 31.01.2020 और 31.07.2020 के बीच ऑटोमोबाइल, आवासीय भवन और एमएसएमई के लिए वृद्धिशील बकाया ऋणों पर बैंकों की नकद आरक्षित अनुपात आवश्यकता पर राहत देना शामिल है। तथापि, समिति यह पाती है कि केन्द्र सरकारों/सीपीएसई और राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतानों के कारण एमएसएमई के संचालन में रुकावट आती है। इसलिए सरकार का एमएसएमई क्षेत्र को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए और ऐसी प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे एमएसएमई को</p>	<p>सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) द्वारा अपने समाधान पोर्टल/ वेबसाइट के माध्यम से विलंबित भुगतानों की निरंतर निगरानी की जा रही है जो पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लंबित भुगतान की समीक्षा के लिए सचिव (व्यय) और सचिव (आर्थिक कार्य) द्वारा दिनांक 27.08.2019 को प्रमुख पीएसयू के साथ एक बैठक भी की गई थी। बैठक के दौरान, पीएसयू को विक्रेताओं, एमएसएमई के साथ-साथ बड़ी कंपनियों को तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे ताकि बाजार में पर्याप्त धन आपूर्ति/ नकदी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री द्वारा लंबित भुगतानों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ दिनांक 27.09.2019 को और पीएसयू के साथ दिनांक 28.09.2019 को बैठकें की गई थीं। केंद्रीय मंत्रालयों को ऐसे कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं, जो मुकदमें या मध्यस्थता के अधीन नहीं हैं, की आपूर्ति के संबंध में</p>	स्वीकृत	

		<p>भविष्य में बिना किसी विलंब के भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी एजेंसियों जैसे संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) आदि भी शामिल होने चाहिये। इसी प्रकार, पीएसयू को मुकदमे और मध्यस्थता आदि के मामलों को छोड़कर सभी बकाया राशि को जारी करने के निर्देश दिए गए थे। संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से लंबित भुगतानों की निगरानी करें और सचिव(व्यय) को अपने मासिक अर्द्धशासकीय पत्रों में स्थिति से अवगत कराएं।</p> <p>पीएसयू को एक पोर्टल स्थापित करने का निर्देश भी दिया गया था जिसमें विक्रेता द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत बिल, बिल ट्रेकिंग, भुगतान की स्थिति आदि की सुविधा होनी चाहिए।</p>		
10	10	<p>एमएसएमई को अभी भी सरकार से समय पर भुगतान मिलने में काफी कठिनाई आ रही है। जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और कुछ मामलों में ऋण डिफाल्ट भी ट्रिगर हो रहे हैं। समिति नोट करती है की टीआरईडी प्रणाली का अभी भी सरकारी संस्थाओं द्वारा पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है। टीआरईडीएस पर सभी सरकारी बीजको का समय पर अपलोड किया</p>	<p>सरकारी संस्थाओं द्वारा ट्रेड-रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) का बेहतर प्रयोग करने के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 2.11.2018 एक अधिसूचना का.आ. 5621(अ.) (अनुलग्नक-क) जारी की है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम (सीपीएसई) को टीआरईडीएस प्लेटफार्म में शामिल होना आवश्यक है। इस अधिसूचना में यह भी व्यवस्था की गई है कि लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की निगरानी के</p>	जी, हां।	

		<p>जाना सुनिश्चित करके सरकार एमएसएमई को उनका भुगतान यथाशीघ्र दिला सकती है। प्रत्येक सरकारी सत्ता को यह निगरानी रखनी चाहिए कि क्या भुगतान समय पर किया जा रहा है और अपवाद के मामलों का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए।</p>	<p>लिए सक्षम प्राधिकरण होगा।</p> <p>सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि वे लोक उपक्रम विभाग की सहायता से सीपीएसई के पंजीकरण की निगरानी कर रहे हैं। सरकारी विभाग/सीपीएसई के द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सचिव (एमएसएमई) ने भारत सरकार के सभी सचिवों को दिनांक 18.5.2020 को एक अ.शा. पत्र (अनुलग्नक-ख) जारी किया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि एमएसएमई के लंबित भुगतानों को यथा शीघ्र जारी किया जाए।</p>		
11	11	<p>वित्तीय सेवा विभाग द्वारा समिति को दिए गए आंकड़ों से, यह पता चलता है कि साख-जमा अनुपात (सीडीआर) के संदर्भ में राज्यों में व्यापक असमानता है। उदाहरण के लिए 2019 मार्च में, त्रिपुरा का सीडीआर 127.1% था, अरुणाचल के लिए यह केवल 8.09% था; राजस्थान के लिए यह 112.5% था जबकि उसी वर्ष में यह केवल 36.2% था। समिति चाहती है कि वित्त मंत्रालय को विशेष रूप से निम्न साख जमा अनुपात वाले राज्यों में बैंकिंग ऋण प्रवाह को बढ़ाने और राज्यों के बीच समानता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। समिति सरकार से यह भी आग्रह करती है कि वह संपार्श्विक-मुक्त मानदंडों का सख्ती से पालन करते हुए</p>	<p>बैंकों द्वारा जिला स्तरीय सरकारी अधिकारियों के परामर्श से जिला वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार की जाती है और इसकी निगरानी जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के माध्यम से की जाती है। किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में सभी जिलों के एसीपी को राज्य एसीपी में समेकित किया जाता है और इसकी निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा की जाती है। एसएलबीसी की बैठक में राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग, आरबीआई, नाबार्ड तथा सहभागी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यदि सीडी अनुपात सहित एसीपी के लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी होती है तो इसे बेहतर बनाने के लिए इसकी निगरानी एसएलबीसी द्वारा की जाती है। सीडी अनुपात के संबंध में आरबीआई के मास्टर परिपत्र में अनुदेश दिए गए हैं - कमी में सुधार लाने के लिए अग्रणी बैंक योजना का अनुसरण किया जाता है। सीडी</p>	स्वीकृत।	<p>की गई कार्रवाई संबंधी कॉलम में दिए गए कार्रवाई संबंधी ब्यौरे के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिशासन संबंधी सुधार किए गए हैं और उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मकता पुनः आरंभ हुई है।</p>

		<p>गैर-संपार्श्विक ऋणों का वितरण सुनिश्चित करे। इसके अलावा, समिति समझती है कि 2014 से, सरकार ने विनियामक और विकास उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के माध्यम से लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस समय, बैंकों के लिए पूंजी का भी पर्याप्त प्रावधान है। हालांकि, समिति आशंकित है कि पीएसबी अपनी प्रतिस्पर्धा खो चुके हैं और इस तरह उनके बाजार में हिस्सेदारी और मूल्यांकन प्रक्रिया में काफी हद तक कमी आई है। सरकार द्वारा समिति प्रणाली को मजबूत बनाना, नान ऑफिशियल निदेशकों की प्रभावशीलता में सुधार करना, बोर्ड को मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर मुख्य जोखिम अधिकारी की भर्ती आदि के लिए बोर्ड को सशक्त बनाना, जैसे उठाए गए कदमों को स्वीकार करते हुए समिति को उम्मीद है कि सरकार इन सुधारों को सख्ती से आगे बढ़ाएगी जिससे देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और जीवंत हो।</p>	<p>अनुपात ऋण ग्रहण करने की क्षमता के रूप में भी कार्य करता है, जो आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता के रूप में राज्यों के विकास के स्तर पर निर्भर करता है, अलग-अलग क्षेत्रों की ऋण प्राप्त करने की क्षमता भिन्न-भिन्न होती है।</p> <p>पीएसबी की प्रतिस्पर्धा को पुनः कायम करने के लिए सरकार ने मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित के माध्यम से पीएसबी में सुधार लाने के लिए व्यापक पद्धति को अपनाया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रतिवर्तन काल में औद्योगिक-बैंचमार्क सुधार 2. डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में औद्योगिक-बैंचमार्क सुधार 3. प्रतिस्पर्धी मूल्य 4. ग्राहक आवश्यकता चालित बाजार रणनीति तथा पहुंच । 5. विवेकपूर्ण उधार तथा प्रभावी ऋण जीवनचक्र प्रबंधन <p>1) प्रतिवर्तन काल (टीएटी) : जनवरी 2018 में आरम्भ पीएसबी ईज सुधारों के अंतर्गत, ऋण प्रबंधन प्रणाली की तैनाती तथा केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग हब जैसे प्रयासों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों के लिये टीएटी में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं तथा प्रगति को अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बैंचमार्क किया गया है। 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के व्यवसाय वाले पीएसबी के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में के लिये तुलनीय व्यवसाय</p>	
--	--	---	---	--

		<p>आकार वाले चार निजी क्षेत्र के बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक) की तुलना में बेंचमार्क किए गए छः ऐसे बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया) हेतु ऋण संवितरण तथा शाख सूचना कम्पनी से शाख रिपोर्ट जांच के बीच अंतर के माध्यम से परिमित टीएटी यह दर्शाता है कि पीएसबी अपने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है। विवरण निम्नानुसार है:</p> <table><tr><th>ऋण का कार</th><th>पीएसबी के लिये टीएटी</th><th>निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी</th></tr><tr><td>आवास ऋण</td><td>30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)</td><td>31.2 दिन</td></tr><tr><td>वाहन ऋण</td><td>7.4 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)</td><td>17.7 दिन</td></tr><tr><td>वैयक्तिक ऋण</td><td>9.1 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)</td><td>20.9 दिन</td></tr></table>	ऋण का कार	पीएसबी के लिये टीएटी	निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी	आवास ऋण	30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)	31.2 दिन	वाहन ऋण	7.4 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)	17.7 दिन	वैयक्तिक ऋण	9.1 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)	20.9 दिन	
ऋण का कार	पीएसबी के लिये टीएटी	निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी													
आवास ऋण	30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)	31.2 दिन													
वाहन ऋण	7.4 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)	17.7 दिन													
वैयक्तिक ऋण	9.1 दिन वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)	20.9 दिन													
<p>स्रोत: ट्रांस यूनियन सीआईबीआईएल/आईबीए (ईएएसई सुधार); 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले</p>															

		<p>पीएसबी तथा समतुल्य कारोबार वाले निजी क्षेत्र के बैंक</p> <p>2) डिजिटल बैंकिंग सेवाएं : दी जा रही सेवाओं की संख्या, ग्राहक हितैषी तथा स्थानीय भाषा ग्राहक इंटरफ़ेस के रूप में मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं तथा इन्हें निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों की तुलना में बेंचमार्क किया गया है ।</p> <table><tr><td>मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग</td><td>पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)</td><td>तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)</td></tr><tr><td>सेवाओं की औसत संख्या</td><td>39</td><td>37</td></tr><tr><td>ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत</td><td>120</td><td>94*</td></tr><tr><td>औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा</td><td>8</td><td>1</td></tr></table> <p>स्रोत: ईएएसई सुधार आंकड़े(भारतीय बैंक संघ)</p> <p>*जून 2019 तक</p> <p>3) प्रतिस्पर्धी मूल्य : पीएसबी सामान्यतः ऐसे ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं जो उनके निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में व्यापक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं ।</p> <p>विवरण निम्नानुसार है:-</p>	मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग	पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)	तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)	सेवाओं की औसत संख्या	39	37	ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत	120	94*	औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा	8	1	
मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग	पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)	तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)													
सेवाओं की औसत संख्या	39	37													
ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत	120	94*													
औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा	8	1													

				<div>पीएसबी मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)</div>	<div>निजी क्षेत्र के बैंक मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)</div>		
			<div>एक वर्षीय ऋण दर का सीमांत लागत (एमसीएलआर)</div>	<div>7.83%</div>	<div>9.08%</div>		
<div>स्रोत; आरबीआई</div> <div>4) ग्राहक आवश्यकता चालित विपणन रणनीति तथा पहुंच पीएसबी, अन्य उधारदाताओं एवं वित्तीय बाजारों द्वारा अपर्याप्त रूप से सेवित क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर वर्ग, कृषि, आवास, तथा शिक्षा के क्षेत्र में वित्तपोषक रहा है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों के बेहतर वर्ग को सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएसबी को एक बड़ी आबादी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हुए, अपनी आय को बढ़ाने तथा उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र के बैंक आगे हैं वहां प्रतिस्पर्धा की माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।</div> <div>(क) पीएसबी में समर्पित विपणन अधिकारियों के रूप में बिक्री बल में मार्च 2018 में 8920 की तुलना में मार्च 2020 में 18053 की दोगुनी वृद्धि हुई है।</div> <div>(ख) बिक्री बल के माध्यम से ऋणों की सोर्सिंग तथा विपणन टाईअप से वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31%</div>							

			<p>की चार गुनी वृद्धि है।</p> <p>(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय उत्पादों की क्रॉस बिक्री से ग्राहकों को कई प्रकार के वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं।</p> <p>(घ) PSBloansin59minutes.com के माध्यम से खुदरा तथा एमएसएमई को उधार देने हेतु डिजिटल प्रयास को आरम्भ किया गया है।</p> <p>(ङ) ट्रेड रिसिवेवल्स छूट प्रणाली (ट्रेड्स) सभी पीएसबी के पास है तथा ट्रेड रिसिवेवल्स छूट बाजार तक अब पीएसबी की प्रतिस्पर्धी पहुंच है।</p> <p>(च) वित्तीय वर्ष 2020-21 से तेज, प्रयोगिकी सक्षम बैंकिंग को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत पीएसबी द्वारा अन्य बातों के साथ साथ :</p> <p>(i) सूक्ष्म उद्यमियों के लिये ऋण की सीधी प्रोसेसिंग हेतु ई-शिथु मुद्रा की शुरुआत की गई।</p> <p>(ii) विश्लेषण(एनालिटिक्स) के माध्यम से ग्राहक आवश्यकता चालित ऋण ऑफर देने की शुरुआत हुई</p> <p>(iii) एकल बिंदु संबंध प्रबंधक के साथ बड़े कॉर्पोरेट के लिये एकीकृत खाता प्रबंधन की स्थापना की गई ताकि बैंक के भीतर व्यवसाय वर्टिकल के बीच उनकी आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके</p> <p>(iv) ग्राहक प्रतीक्षा तथा लेन-देन समय को कम करने हेतु एकल खिडकी परिचालनों के साथ सघन लेन-देन वाली शाखाओं में उन्नत पंक्ति प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, तथा :</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(v) तीव्र समयबद्ध प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग हब तथा कृषि ऋणों के लिए प्रस्ताव तथा ऐप आधारित ऋण आवेदनों की शुरुआत की गई</p> <p>(5) विवेकपूर्ण उधार तथा प्रभावी ऋण जीवन चक्र प्रबंध: पीएसबी में मूल्यांकन तथा निगरानी की कमी के फलस्वरूप आस्ति गुणवत्ता खराब हुई है जिसके चलते वित्त दबावग्रस्त हुआ है जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता अथवा प्रणाली में सुधार तथा उत्पादों एवं सेवाओं के विस्तार हेतु निवेश करने की क्षमता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है। इनका निम्नलिखित के माध्यम से प्रणालीगत रूप से समाधान किया गया है:</p> <p>(क) विवेकपूर्ण हामीदारी तथा मूल्य प्रणाली के साथ तकनीक तथा डेटा चालित जोखिम आकलन, जिसके लिये:-</p> <p>(i) जोखिम स्कोरिंग तथा संवीक्षा प्रणाली, जो तृतीय पक्ष डाटा तथा गैर वित्तीय फैक्टर में व्यापक गुणक होते हैं तथा उच्च जोखिम वाले मामलों में उच्चतर संवीक्षा की व्यवस्था करते हैं , की बैंकों में शुरुआत की गई है</p> <p>(ii) जोखिम आधारित मूल्य के अनुपालन में व्यापक सुधार किया गया है</p> <p>(iii) बेहतर उधार नीति को अपनाया गया है जो बेहतर कंसोर्टियम उधार,नकदी प्रवाह की रिंग फेंसिंग,तथा संवितरण व्यवस्था उपलब्ध कराता है;</p> <p>(ख) ऋण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(ग) 80 ईडब्ल्यू ट्रिगर जिनमे तृतीय पक्ष डाटा तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समयबद्ध कार्य प्रवाह शामिल के साथ बैंकों में आरम्भिक चेतावनी संकेतों की शुरुआत (ईडब्लूएस)</p> <p>(घ) दबाव के मामलों में समय बद्ध कार्रवाई हेतु विशेषीकृत निगरानी तथा बैंकों में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल के माध्यम से केंद्रित वसूली (जिसने विगत दो वित्तीय वर्षों में 1.21 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है (वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही तक), तथा एकबारगी निपटान प्लेटफार्म तथा पोर्टल तथा ऑनलाईन निलामी हेतु eBक्रय प्लेटफार्म तथा ऑनलाईन वसूली मामला प्रबंधन हेतु eDRT बनाई गई है.</p> <p>इन सुधारों से पीएसबी के वित्तीय कार्यनिष्पादन में बेहतर सुधार हुआ है :</p> <p>(क) सकल एनपीए मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड रु से घटकर दिसम्बर 2019 में 7.17 लाख करोड रुपए हो गया है।</p> <p>(ख) मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक 2.62 लाख करोड रु की रिकार्ड वसूली हुई है;</p> <p>(ग) एनपीए में नवीन स्लिपेज, जो वित्तीय वर्ष</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>2017-18 में 8.34% के शीर्ष पर था वो दिसम्बर 2019 को समाप्त 12 माह की अवधि के लिये कम होकर 3.88% रहा(उक्त अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये 4.72% की तुलना में)। विवरण निम्नानुसार हैं:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज</td></tr><tr><td></td><td>पीएसबी</td><td>निजी क्षेत्र के बैंक</td></tr><tr><td>वि.व 2017-18</td><td>8.34%</td><td>4.73%</td></tr><tr><td>वि.व 2018-19</td><td>3.96%</td><td>3.39%</td></tr><tr><td>जनवरी से दिसम्बर 2019</td><td>3.88%</td><td>4.72%</td></tr></table> <p>स्रोत: आरबीआई</p> <p>(घ) प्रावधान कवरेज अनुपात में मार्च में 62.7% की तुलना में दिसंबर 2019 में 77.5% की वृद्धि जो बेहतर लचीलेपन को दर्शाता है</p> <p>(ङ) धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से कमी आयी है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 0.93% के शीर्ष से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.06% रहीं (वित्तीय वर्ष 2019-20 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 0.09% की तुलना में)। विवरण निम्नानुसार हैं :-</p> <table><tr><td></td><td>सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी</td></tr></table>		प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज			पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक	वि.व 2017-18	8.34%	4.73%	वि.व 2018-19	3.96%	3.39%	जनवरी से दिसम्बर 2019	3.88%	4.72%		सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी		
	प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज																				
	पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक																			
वि.व 2017-18	8.34%	4.73%																			
वि.व 2018-19	3.96%	3.39%																			
जनवरी से दिसम्बर 2019	3.88%	4.72%																			
	सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी																				

			<table><tr><td></td><td>पीएसबी</td><td>निजी क्षेत्र के बैंक</td></tr><tr><td>वि.व. 2017-18</td><td>0.235%</td><td>0.239%</td></tr><tr><td>वि.व. 2018-19</td><td>0.268%</td><td>0.294%</td></tr><tr><td>वि.व. 2019-20</td><td>0.065%</td><td>0.092%</td></tr></table> <p>स्रोत: आरबीआई</p> <p>आघातक्षम एवं प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के लिए अभिशासन सुधार को कठोरता से लागू करने के लिए-</p> <p>(क) वित्तीय वर्ष 2020-21 के पीएसबी ईएएसई सुधार एजेंडा में अभिशासन सुधार को शामिल किया गया है तथा उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से इनकी निगरानी की जा रही है;</p> <p>(ख) पीएसबी में बोर्ड समिति प्रणाली को निम्नलिखित के माध्यम से युक्तिसंगत एवं सुदृढ़ बनाया गया है:-</p> <p>(i) नामांकन समिति तथा पारिश्रमिक समिति को सभी बैंकों में एकीकृत करके नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया जा रहा है;</p> <p>(ii) छः बैंकों द्वारा समिति का युक्तिकरण कर लिया गया है;</p> <p>(iii) बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सभी वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड समिति को सौंपा गया है;</p>		पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक	वि.व. 2017-18	0.235%	0.239%	वि.व. 2018-19	0.268%	0.294%	वि.व. 2019-20	0.065%	0.092%		
	पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक															
वि.व. 2017-18	0.235%	0.239%															
वि.व. 2018-19	0.268%	0.294%															
वि.व. 2019-20	0.065%	0.092%															

			<p>(iv) ऋण संबंधी निर्णय में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रबंधन समिति को सक्षम बनाने हेतु गैर-सरकारी निदेशकों के लिए पर्याप्त शर्त का उपबंध किया गया;</p> <p>(v) बैंकों की जोखिम संभावना संरचना का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जोखिम प्रबंधन समिति को सशक्त बनाना;</p> <p>(ग) गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) के प्रभाव को निम्नलिखित के माध्यम से बढ़ाया गया है:-</p> <p>(i) उन्हें स्वतंत्र निदेशकों के समतुल्य भूमिका अदा करने के लिए कार्यात्मक आदेश दिया गया;</p> <p>(ii) उनका मूल्यांकन अलग से आरंभ किया गया;</p> <p>(iii) उनका प्रशिक्षण आरंभ किया गया;</p> <p>(iv) उनके बैठक शुल्क में वृद्धि की गयी;</p> <p>(घ) मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) स्तर आरंभ करने का निर्णय लेने तथा बड़े बैंकों में बैठक शुल्क तय करने बाजार से बाजार संबद्ध प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भर्ती करने की शक्ति बैंक बोर्ड को दी गयी: बड़े बैंकों ने सीजीएम संवर्ग का गठन कर लिया है तथा बैठक शुल्क में वृद्धि कर दी है तथा छ: पीएसबी ने बाजार से सीआरओ की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी है; तथा</p> <p>(ङ) बैंकों में पदारोहण योजना आरंभ की गयी, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए अलग-अलग विकास योजनाओं के माध्यम से इसे लागू किया गया।</p>		
12	12	समिति यह पाती है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के कार्यकरण को अभी तक पूर्ण	बीबीबी ने भारतीय बैंक संघ के माध्यम से नेतृत्व विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसका	स्वीकृत।	चूंकि पीएसबी अपने

		<p>रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीएसबी के पास जोखिम प्रबंधन और नई वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे विशेषीकृत कार्य के लिए विश्वस्तरीय प्रतिभा नहीं है। बीबीबी को चाहिए कि वह विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिभाओं को लाने और उन्हें रखने के लिए पीएसबी की सहायता करनी चाहिए। पीएसबी भी बड़े पैमाने पर आमेलन के कारण काफी उठा पटक से गुजर रहे हैं; इसके लिए मानव संसाधन का निर्धारण और अधिक गहनता से किया जाना जरूरी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएसबी को पर्याप्त संख्या में प्रबंधकीय प्रतिभा उपलब्ध है क्योंकि वे अपने प्रचालन को सुचारु बनाना और उसका विस्तार करना चाहते हैं।</p>	<p>संचालन अग्रणी मानव संसाधन एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा वरिष्ठ पीएसबी कार्यपालकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है।</p> <p>इस संबंध में पीएसबी ईएएसई सुधार के भाग के रूप में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-</p> <p>क. जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए बाजार से बाजार संबद्ध प्रतिपूर्ति के आधार पर बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भर्ती का अधिकार बैंक बोर्डों को दिया गया है;</p> <p>ख. पीएसबी ईएएसई सुधार एजेंडा, वित्तीय वर्ष 2020-21 के भाग के रूप में पीएसबी उभरते बैंकिंग तथा विशेषीकृत भूमिका (जैसे विश्लेषक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस/मशीन – शिक्षण आधारित समाधान, फिनटेक/डिजिटल/भुगतान, संपत्ति प्रबंधन, जोखिम तथा अर्थशास्त्र) के लिए मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा कुछेक बैंकों ने विशेषज्ञों की भर्ती पहले ही कर ली है;</p> <p>ग. बैंक बोर्ड ने क्षमता आधारित पदारोहण योजना हेतु बैंकों में प्रणाली तैयार कर दी है, चिह्नित क्षेत्रों में प्रबंधन प्रतिभा को तैयार करने, प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए अलग-अलग विकास योजनाओं के माध्यम से इन्हें लागू किया जाता है; तथा</p> <p>घ परिचालन के लिए तथा परिचालन क्षेत्र का सुचारु रूप से विस्तार करने के लिए मानव संसाधन के</p>	<p>परिचालन को सुचारु बनाने तथा इसका विस्तार करने के लिए इच्छुक हैं, अतः की गई कार्रवाई संबंधी कॉलम में दिए गए कार्रवाई संबंधी ब्यौरे के माध्यम से उनके लिए पर्याप्त प्रबंधकीय प्रतिभा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मानव संसाधन का गहन आकलन किया गया है।</p>
--	--	--	---	--

			<p>आकलन के आधार पर बैंक को प्रबंधन प्रतिभा उपलब्ध कराने के लिए,-</p> <p>I. संबद्ध रोजगार क्षेत्र, जैसे ऋण, जोखिम तथा अनुपालन, कोषागार तथा विदेशी मुद्रा, सूचना/डिजिटल प्रौद्योगिकी, फिनटेक तथा भुगतान आदि के संबंध में मध्यम प्रबंधन स्तर में विशिष्ट योग्यता उपलब्ध कराने के लिए पीएसबी में रोजगार परिवार प्रणाली तैयार की गयी है; और</p> <p>II. निरंतर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के लिए अनिवार्य भूमिका आधारित ई-लर्निंग कार्यक्रम आरंभ किया गया है।</p>		
13	13	<p>पीएसबी का कीमत-बही गुणांक बहुत नीचे चल रहा है और उनका बाजार मूल्यांकन भी दबाव में है। समिति नोट करती है कि पीएसबी के पास किसी विभेदीकृत रणनीति कि उपलब्धता प्रतीत नहीं जिससे वे प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उनके अधिकांश लाभप्रद कार्यक्रमों में बाजार साझेदारी घट रही है। बड़े पैमाने पर विलय के अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग को पीएसबी की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। निम्न मूल्यांकन</p>	<p>बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा 1980 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की प्रस्तावना पीएसबी को राष्ट्रीय नीति तथा उद्देश्यों के अनुरूप आर्थिक विकास करने, बैंकिंग सुविधाओं का व्यापक स्तर पर, विशेषकर अल्पसेवित क्षेत्रों में प्रसार तथा अन्य जन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रतिबद्ध करता है। विधायी प्रयोजन तथा नीति के अनुसार, पीएसबी ने अनेक क्षेत्रों तथा अन्य उधारदाताओं एवं वित्तीय बाजारों द्वारा अपर्याप्त रूप से सेवित क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर वर्ग, कृषि, आवास, तथा शिक्षा के क्षेत्र में वित्तपोषण के मुख्य श्रोत के रूप में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख योगदानों में 35 करोड़ से अधिक जन-</p>	स्वीकृत।	<p>पीएसबी की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत बनाने के लिए की गई कार्रवाई संबंधी कॉलम में दिए गए कार्रवाई संबंधी ब्यौरे के अनुसार एक व्यापक कार्य-योजना का अनुसरण किया गया है।</p>

		<p>यह परिलक्षित करता है कि बैंकों को इक्विटी बाजार के माध्यम से अपना इक्विटी आधार बढ़ाने में कठिनाई होगी। जिसके परिणामस्वरूप, यदि प्रतिकूल वैश्विक रुझानों के कारण यदि एनपीए में वृद्धि होती है तो पीएसबी को समुचित रूप से पूंजीकृत रखने के लिए सरकार से काफी मात्रा में वित्तपोषण अपेक्षित होगा।</p>	<p>धन खाते खोले जाने के माध्यम से वित्तीय समावेशन, ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक बैंकिंग नेटवर्क, शिक्षा ऋण में 92% से अधिक का हिस्सा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को ऋण इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त, पीएसबी प्रमुख उद्योगों तथा अवसंरचना हेतु दीर्घ कालिक परियोजनाओं उधार देने में अग्रणी रहे हैं।</p> <p>पीएसबी के महत्व तथा इसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था में अधिक उत्पादकता तथा कार्यक्षमता लाने और अधिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है एवं तदनुसार वर्ष 1993 में बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन के माध्यम से नए निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की अनुमति दी।</p> <p>पीएसबी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सेवित ग्राहकों के प्रोफाईल अलग अलग हैं। जबकि दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय आकार-वार सबसे बड़े छः पीएसबी में औसत बचत खाता शेष राशि लगभग 24,000 रु थी, जो निजी क्षेत्र की तीन सबसे बड़ी बैंकों ¹ में 67,000 रु थी। जबकि बाद वाले का उच्चतर आय प्रोफाईल बेहतर व्यवसाय प्रतिफल सुनिश्चित करता है, पीएसबी व्यवसाय का निम्नतर टिकट आकार लागत संरचना में सहायक होती है जिससे लाभप्रदता प्रभावित होती है।</p> <p>इन अंतरों के बावजूद, पीएसबी को बेहतर लाभप्रदता के साथ सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाएं</p>	
--	--	---	---	--

¹ एफआईसीसीआई-आईबीए बैंकिंग वार्षिक सम्मेलन (एफआईबीएसी) उत्पादकता समीक्षा 2019

			<p>उपलब्ध कराने में प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है ताकि वे अपने ग्राहकों को सेवा देने तथा नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने में बेहतर रूप से सक्षम हों। इस हेतु, सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इनकी प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने हेतु पीएसबी में सुधार हेतु व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) प्रतिवर्तन काल में औद्योगिक-बैंचमार्क सुधार 2) डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में औद्योगिक-बैंचमार्क सुधार 3) प्रतिस्पर्धी मूल्य 4) ग्राहक आवश्यकता चालित बाजार रणनीति तथा पहुंच। 5) विवेकपूर्ण उधार तथा प्रभावी ऋण जीवनचक्र प्रबंधन <p>1. प्रतिवर्तन काल (टीएटी) : जनवरी 2018 में आरम्भ पीएसबी ईज सुधारों के अंतर्गत, ऋण प्रबंधन प्रणाली की तैनाती तथा केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग हब जैसे प्रयासों के माध्यम से खुदरा ग्राहकों के लिये टीएटी में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं तथा प्रगति को अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बैंचमार्क किया गया है। 5 लाख करोड़ रूपए से अधिक के व्यवसाय वाले पीएसबी के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में के लिये तुलनीय व्यवसाय आकार वाले चार निजी क्षेत्र के बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक) की तुलना में बैंचमार्क किए गए छः ऐसे बैंकों</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>(भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक तथा बैंक ऑफ इंडिया) हेतु ऋण संवितरण तथा शाख सूचना कम्पनी से शाख रिपोर्ट जांच के बीच अंतर के माध्यम से परिमित टीएटी यह दर्शाता है कि पीएसबी अपने नीजि क्षेत्र के बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है। विवरण निम्नानुसार है:</p> <table><tr><th>ऋण का प्रकार</th><th>पीएसबी के लिये टीएटी</th><th>नीजि क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी</th></tr><tr><td>आवास ऋण</td><td>30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)</td><td>31.2 दिन</td></tr><tr><td>वाहन ऋण</td><td>7.4 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)</td><td>17.7 दिन</td></tr><tr><td>वैयक्तिक ऋण</td><td>9.1 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)</td><td>20.9 दिन</td></tr></table> <p>स्रोत: ट्रांस यूनियन सीआईबीआईएल/आईबीए (ईएएसई सुधार); 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले</p>	ऋण का प्रकार	पीएसबी के लिये टीएटी	नीजि क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी	आवास ऋण	30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)	31.2 दिन	वाहन ऋण	7.4 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)	17.7 दिन	वैयक्तिक ऋण	9.1 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)	20.9 दिन	
ऋण का प्रकार	पीएसबी के लिये टीएटी	नीजि क्षेत्र के बैंकों के लिये टीएटी													
आवास ऋण	30.2 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 35.0 से बेहतर होकर)	31.2 दिन													
वाहन ऋण	7.4 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 13.2 से बेहतर होकर)	17.7 दिन													
वैयक्तिक ऋण	9.1 दिन (वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 14.2 से बेहतर होकर)	20.9 दिन													

		<p>पीएसबी तथा समतुल्य कारोबार वाले निजी क्षेत्र के बैंक</p> <p>2. डिजिटल बैंकिंग सेवाएं : दी जा रही सेवाओं की संख्या, ग्राहक हितैषी तथा स्थानीय भाषा ग्राहक इंटरफ़ेस के रूप में मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग में प्रणालीगत सुधार किए गए हैं तथा इन्हें निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों की तुलना में बेंचमार्क किया गया है।</p> <table><tr><th>मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग</th><th>पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)</th><th>तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)</th></tr><tr><td>सेवाओं की औसत संख्या</td><td>39</td><td>37</td></tr><tr><td>ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत</td><td>120</td><td>94*</td></tr><tr><td>औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा</td><td>8</td><td>1</td></tr></table> <p>स्रोत: ईएएसई सुधार आंकड़े(भारतीय बैंक संघ)</p> <p>*जून 2019 तक</p> <p>3. प्रतिस्पर्धी मूल्य : पीएसबी सामान्यतः ऐसे ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं जो उनके निजी क्षेत्र के</p>	मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग	पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)	तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)	सेवाओं की औसत संख्या	39	37	ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत	120	94*	औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा	8	1		
मोबाईल तथा इंटरनेट बैंकिंग	पीएसबी औसत 5 लाख करोड रु \geq व्यवसाय वाले बैंकों के लिए (मार्च 2020)	तुलनात्मक व्यवसाय निजी क्षेत्र (मार्च 2020)														
सेवाओं की औसत संख्या	39	37														
ग्राहक हितैषी विशेषताओं का औसत	120	94*														
औसत उपलब्ध क्षेत्रीय भाषा	8	1														

		<p>बैंकों की तुलना में व्यापक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं । विवरण निम्नानुसार है:-</p> <table><tr><td></td><td>पीएसबी मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)</td><td>निजी क्षेत्र के बैंक मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)</td></tr><tr><td>एक वर्षीय ऋण दर का सीमांत लागत (एमसीएलआर)</td><td>7.83%</td><td>9.08%</td></tr></table> <p>स्रोत; आरबीआई</p> <p>4. ग्राहक आवश्यकता चालित विपणन रणनीति तथा पहुंच पीएसबी, अन्य उधारदाताओं एवं वित्तीय बाजारों द्वारा अपर्याप्त रूप से सेवित क्षेत्रों जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर वर्ग, कृषि, आवास, तथा शिक्षा के क्षेत्र में वित्तपोषक रहा है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों के बेहतर वर्ग को सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पीएसबी को एक बड़ी आबादी की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हुए, अपनी आय को बढ़ाने तथा उन क्षेत्रों में जहां निजी क्षेत्र के बैंक आगे हैं वहां प्रतिस्पर्धा की माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।</p> <p>(क) पीएसबी में समर्पित विपणन अधिकारियों के रूप में बिक्री बल में मार्च 2018 में 8920 की तुलना</p>		पीएसबी मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)	निजी क्षेत्र के बैंक मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)	एक वर्षीय ऋण दर का सीमांत लागत (एमसीएलआर)	7.83%	9.08%	
	पीएसबी मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)	निजी क्षेत्र के बैंक मीडियन (31.5.2020 की स्थिति के अनुसार)							
एक वर्षीय ऋण दर का सीमांत लागत (एमसीएलआर)	7.83%	9.08%							

			<p>में मार्च 2020 में 18053 की दोगुनी वृद्धि हुई है।</p> <p>(ख) बिक्री बल के माध्यम से ऋणों की सोर्सिंग तथा विपणन टाईअप से वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में 7% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 31% की चार गुनी वृद्धि है।</p> <p>(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय उत्पादों की कॉस बिक्री से ग्राहकों को कई प्रकार के वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं।</p> <p>(घ) PSBloansin59minutes.com के माध्यम से खुदरा तथा एमएसएमई को उधार देने हेतु डिजिटल प्रयास को आरम्भ किया गया है।</p> <p>(ङ) ट्रेड रिसिवेवल्स छूट प्रणाली (ट्रेड्स) सभी पीएसबी के पास है तथा ट्रेड रिसिवेवल्स छूट बाजार तक अब पीएसबी की प्रतिस्पर्धी पहुंच है।</p> <p>(च) वित्तीय वर्ष 2020-21 से तेज, प्रयोगिकी सक्षम बैंकिंग को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत पीएसबी द्वारा अन्य बातों के साथ साथ :</p> <p>(i) सूक्ष्म उद्यमियों के लिये ऋण की सीधी प्रोसेसिंग हेतु ई-शिशु मुद्रा की शुरुआत की गई।</p> <p>(ii) विश्लेषण(एनालिटिक्स) के माध्यम से ग्राहक आवश्यकता चालित ऋण ऑफर देने की शुरुआत हुई</p> <p>(iii) एकल बिंदू सम्बंध प्रबंधक के साथ बड़े कारपोरेट के लिये एकीकृत खाता प्रबंधन की स्थापना की गई ताकि बैंक के भीतर व्यवसाय वर्टिकल के बीच उनकी आवश्यकताओं को निर्बाध रूप से पूरा किया जा सके</p> <p>(iv) ग्राहक प्रतीक्षा तथा लेन-देन समय को कम करने</p>	
--	--	--	---	--

			<p>हेतु एकल खिडकी परिचालनों के साथ सघन लेन-देन वाली शाखाओं में उन्नत पंक्ति प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, तथा :</p> <p>(v) तीव्र समयबद्ध प्रोसेसिंग के लिए केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग हब तथा कृषि ऋणों के लिए प्रस्ताव तथा ऐप आधारित ऋण आवेदनों की शुरुआत की गई</p> <p>(5) विवेकपूर्ण उधार तथा प्रभावी ऋण जीवन चक्र प्रबंधन: पीएसबी में मूल्यांकन तथा निगरानी की कमी के फलस्वरूप आस्ति गुणवत्ता खराब हुई है जिसके चलते वित्त दबावग्रस्त हुआ है जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता अथवा प्रणाली में सुधार तथा उत्पादों एवं सेवाओं के विस्तार हेतु निवेश करने की क्षमता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है। इनका निम्नलिखित के माध्यम से प्रणालीगत रूप से समाधान किया गया है:</p> <p>क. विवेकपूर्ण हामीदारी तथा मूल्य प्रणाली के साथ तकनीक तथा डेटा चालित जोखिम आकलन, जिसके लिये:-</p> <p>(i) जोखिम स्कोरिंग तथा संवीक्षा प्रणाली, जो तृतीय पक्ष डाटा तथा गैर वित्तीय फैक्टर में व्यापक गुणक होते हैं तथा उच्च जोखिम वाले मामलों में उच्चतर संवीक्षा की व्यवस्था करते हैं, की बैंकों में शुरुआत की गई है</p> <p>(ii) जोखिम आधारित मूल्य के अनुपालन में व्यापक सुधार किया गया है</p> <p>(iii) बेहतर उधार नीति को अपनाया गया है जो बेहतर</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>कंसोर्टियम उधार,नकदी प्रवाह की रिंग फेंसिंग,तथा संवितरण व्यवस्था उपलब्ध कराता है;</p> <p>ख. ऋण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> <p>ग. 80 ईडब्ल्यू ट्रिगर जिनमे तृतीय पक्ष डाटा तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समयबद्ध कार्य प्रवाह शामिल के साथ बैंकों में आरम्भिक चेतावनी संकेतों की शुरुआत (ईडब्लुएस)</p> <p>घ. दबाव के मामलों में समय बद्ध कार्रवाई हेतु विशेषीकृत निगरानी तथा बैंकों में दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल के माध्यम से केंद्रित वसूली (जिसने विगत दो वित्तीय वर्षों में 1.21 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है (वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही तक), तथा एकबारगी निपटान प्लेटफार्म तथा पोर्टल तथा ऑनलाईन निलामी हेतु eBक्रय प्लेटफार्म तथा ऑनलाईन वसूली मामला प्रबंधन हेतु eDRT बनाई गई है। इन सुधारों से पीएसबी के वित्तीय कार्यनिष्पादन में बेहतर सुधार हुआ है :</p> <p>क. सकल एनपीए मार्च 2018 में 8.96 लाख करोड़ रु से घटकर दिसम्बर 2019 में 7.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है।</p> <p>ख. मार्च 2018 से दिसंबर 2019 तक 2.62 लाख करोड़ रु की रिकार्ड वसूली हुई है</p> <p>ग. एनपीए में नवीन स्लिपेज, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 8.34% के शीर्ष पर था वो दिसम्बर</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>2019 को समाप्त 12 माह की अवधि के लिये कम होकर 3.88% रहा(उक्त अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों के लिये 4.72% की तुलना में)। विवरण निम्नानुसार हैं:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज</td></tr><tr><td></td><td>पीएसबी</td><td>निजी क्षेत्र के बैंक</td></tr><tr><td>वि.व. 2017-18</td><td>8.34%</td><td>4.73%</td></tr><tr><td>वि.व. 2018-19</td><td>3.96%</td><td>3.39%</td></tr><tr><td>जनवरी से दिसम्बर 2019</td><td>3.88%</td><td>4.72%</td></tr></table> <p>स्रोत: आरबीआई</p> <p>घ. प्रावधान कवरेज अनुपात में मार्च में 62.7% की तुलना में दिसंबर 2019 में 77.5% की वृद्धि जो बेहतर लचीलेपन को दर्शाता है</p> <p>ड. धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से कमी आयी है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में 0.93% के शीर्ष से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.06% रहीं (वित्तीय वर्ष 2019-20 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 0.09% की तुलना में)।</p>		प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज			पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक	वि.व. 2017-18	8.34%	4.73%	वि.व. 2018-19	3.96%	3.39%	जनवरी से दिसम्बर 2019	3.88%	4.72%		
	प्रारम्भिक मानक अग्रिम के प्रतिशत के रूप में विगत 12 महीनों में नवीन स्लिपेज																			
	पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक																		
वि.व. 2017-18	8.34%	4.73%																		
वि.व. 2018-19	3.96%	3.39%																		
जनवरी से दिसम्बर 2019	3.88%	4.72%																		

			<div>विवरण निम्नानुसार हैं :-</div> <table><tr><td></td><td colspan="2">सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी</td></tr><tr><td></td><td>पीएसबी</td><td>निजी क्षेत्र के बैंक</td></tr><tr><td>वि.व. 2017-18</td><td>0.235%</td><td>0.239%</td></tr><tr><td>विव 2018-19</td><td>0.268%</td><td>0.294%</td></tr><tr><td>विव 2019-20</td><td>0.065%</td><td>0.092%</td></tr></table> <div>स्रोत: आरबीआई</div>		सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी			पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक	वि.व. 2017-18	0.235%	0.239%	विव 2018-19	0.268%	0.294%	विव 2019-20	0.065%	0.092%		
	सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में घटित हुई धोखाधड़ी																			
	पीएसबी	निजी क्षेत्र के बैंक																		
वि.व. 2017-18	0.235%	0.239%																		
विव 2018-19	0.268%	0.294%																		
विव 2019-20	0.065%	0.092%																		
14	14	<p>समिति यह नोट करती है कि फिनटेक वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। समिति यह भी समझती है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बिग डेटा जैसे साधन बैंकों को विशाल डेटा सेट और कार्यकलापों का विश्लेषण करके उसके पैटर्न को जल्दी पहचानने की क्षमता प्रदान करती हैं जो कि मानव के लिए परंपरागत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भी कर पाना लगभग असंभव है। समिति को विश्वास है कि पीएसबी फिनटेक की</p>	<p>समिति ने सिफारिश की है कि फिनटेक की एआई और अन्य तकनीकों और सेवाओं को देश के मुख्यधारा के बैंकिंग परिचालन में लाया जाए। भारत में, बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र ने ब्लॉकचेन-आधारित समाधानों को अपनाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।</p> <p>(i) नवंबर 2017 में, एक्सिस बैंक ने रिपल के एंटरप्राइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन का उपयोग करके तत्काल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सेवाएं शुरू कीं। बैंक ने भारत में अपने खुदरा ग्राहकों के लिए यूएई में रेकबैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए और भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए</p>	जी, हां।	-----															

		<p>सेवाओं/प्रौद्योगिकी के उपयोग के तरीकों और साधनों की खोज करना समीचीन होगा। इस संबंध में, समिति की राय है कि ब्लॉकचेन/क्रिप्टोकॉरेसी की उभरती तकनीक/साधन जो वित्तीय लेनदेन में बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं का व्यवहारिक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि देश में इस तकनीक का सुरक्षित और लाभप्रद उपयोग किया जा सके। समिति, विशेष रूप से क्रिप्टोकॉरेसी की वैधता को कायम रखने के हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में, सरकार से फिनटेक उद्योग पर एक श्वेत पत्र लाने का अनुरोध करना चाहती है।</p>	<p>सिंगापुर में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एक्सिस बैंक, 2017) से भुगतान प्राप्त करने के लिए सेवा शुरू की।</p> <p>(ii) नवंबर 2018 में, एचएसबीसी इंडिया और आईएनजी बैंक बुसेल्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और ट्रिक्कॉन एनर्जी के साथ संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन-सक्षम, लाइव व्यापार वित्तीय लेनदेन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें अंतर्निहित व्यापार में विक्रेता से खरीदार तक माल का शीर्षक का डिजिटल हस्तांतरण किया गया और अंतर्निहित व्यापार का पूर्ण डिजिटलीकरण। आरम्भ से अन्त तक लेनदेन R3 के कॉर्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर निष्पादित किया गया था। ट्राइकॉन एनर्जी यूएसए (आयातक) और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया (एक्सपोर्टर) के लिए सलाहकार और बातचीत करने वाले बैंक के रूप में एचएसबीसी भारत (HSBC, 2018) के लिए आईएनजी बैंक द्वारा साखपत्र (एलसी) जारी किया गया था।</p> <p>(iii) जुलाई 2019 में, यस बैंक, एक जारीकर्ता और भुगतान एजेंट (IPA) के रूप में, प्राकृतिक संसाधनों के समूह, वेदांत लिमिटेड के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके भारतीय 100 करोड़ रूपए के वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एशिया में पहली बार था जब सीपी को डिजिटल रूप से</p>	
--	--	---	--	--

			<p>ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके जारी किया गया था। डिजिटल समाधान सीपी जारी करने और मोचन के लिए एक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित तंत्र सुनिश्चित करता है। यह लेन-देन मोनेटागो (Moneta Go) के साथ साझेदारी में पूरा हुआ, जिसने R3 के कॉर्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म (यस बैंक 2019) का उपयोग करके इस समाधान का निर्माण किया।</p> <p>2) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने AI और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के एसबीआई इंटेलिजेंट असिस्टेंट (SIA) चैट असिस्टेंट (2017 में लॉन्च) जैसे AI सक्षम चैटबॉट लोकप्रिय हो रहे हैं। इस तरह की क्षमताओं को या तो पीएसबी द्वारा अपने स्तर पर विकसित किया जा सकता है या हमारे जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में फिनटेक के साथ टाई-अप के माध्यम से किया जा सकता है :</p> <p>i. फिनटेक और उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कि मशीन लर्निंग (एमएल), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बिग डेटा एनालिटिक्स से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, पीएसबी को आवश्यक तकनीकी अवसंरचना और सक्षम मानव संसाधनों के निर्माण के लिए संसाधन निर्धारित करने की सलाह दी जा सकती है।</p> <p>ii. ऐसी तकनीकों के कुशल उपयोग के लिए बैंक के व्यवसाय, निवेश, ग्राहक और कर्मचारियों से संबंधित</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>बड़ी मात्रा में डेटा की सहज रिकॉर्डिंग और भंडारण की आवश्यकता होगी। इस प्रकार उन्हें डेटा के भंडारण और उपयोग के लिए उपयुक्त "डेटा वेयरहाउस" बनाने की आवश्यकता हो सकती है। कई निजी क्षेत्र की वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्म पहले से ही यह कार्य करती हैं।</p> <p>iii. इन प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में निपुण मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) अपने मौजूदा कर्मचारियों / नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों के पूल से ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर सकते हैं, जिनकी इन मौजूदा तकनीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पृष्ठभूमि हो/ इनमें रुचि हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए, भारतीय विश्वविद्यालयों / कॉलेजों (IIT, IIM, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, IISc इत्यादि) का सहयोग ले सकते हैं, और अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म (Coursera, Udemy, edX आदि) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पाठ्यक्रमों के सफल समापन और उनके काम में इन तकनीकों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिपूर्ति की पेशकश की जा सकती है। कर्मचारियों की प्रारंभिक छोटी टीम बैंक के व्यावसायिक डोमेन पर ऐसे उपकरण लगाने का काम शुरू कर सकती है।</p> <p>iv. इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) अपने कारोबार में नई-पुरानी तकनीक का लाभ उठाने के लिए भुगतान, ऋण और निवेश उत्पादों, क्रेडिट</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>स्कोरिंग आदि के क्षेत्र में फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी और / या आपसी व्यवस्था कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), अपने स्वयं के या एक समूह के रूप में, नए बैंकिंग उत्पादों को बनाने के लिए अपने "रिसर्च एंड इनोवेशन लैब" की स्थापना भी कर सकते हैं और व्यावसायिक कार्यों के दौरान उभरती हुई तकनीकों (AI / ML / Big Data आदि) के उपयोग को भी बढ़ा सकते हैं।</p> <p>3) भारतीय रिजर्व बैंक ने तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक क्षेत्र को मदद करने के लिए सुविधा नियमन जारी करने के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किया है। नियामक सैंडबॉक्स एक नियंत्रित / परीक्षण विनियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण के लिए है जिसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए विनियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं (या अनुमति नहीं दे सकते हैं)। यह विनियामक, प्रवर्तक, वित्तीय सेवा प्रदाता (प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिपादक के रूप में) और ग्राहकों (अंतिम उपयोगकर्ताओं के रूप में) को नए वित्तीय नवाचारों के लाभों और जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए फील्ड परीक्षण करने की अनुमति देता है, जबकि यह सावधानीपूर्वक निगरानी करता है और उनके जोखिम को सीमित करता है। यह नियामक के लिए एक संरचित एवेन्यू प्रदान कर सकता है ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ सकें और नवाचार-सक्षम या नवाचार-उत्तरदायी</p>		
--	--	---	--	--

			<p>नियमों को विकसित कर सकें जो प्रासंगिक, कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं(आरबीआई, 2019)।</p> <p>4) भारतीय रिजर्व बैंक नियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। सैंडबॉक्स के तहत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सेवा में नई या उभरती हुई प्रौद्योगिकी या एक मौजूदा तरीके से मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होना चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना चाहिए। विनियामक सैंडबॉक्स के लिए विचार किए गए आवेदनों का पहला समूह परिचालन विषय "खुदरा भुगतान" (मणिकंदन, 2019) के तहत था।</p> <p>5) भारत में फिनटेक के पास पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जैसे कम विस्तार प्रौद्योगिकी को अपनाने में कमी पृथक ऋण इतिवृत्त नकदी संचालित लेन-देन की अर्थव्यवस्था की समस्या का व्यवहार्य समाधान करने की क्षमता है। सभी भागीदारों अर्थात् विनियामकों, बाजार भागीदारों तथा निवेशकों की समन्वित भागीदारी का प्रयोग भारतीय बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र में परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता है। भारत में फिनटेक के उत्थान को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है: आधार पहचान, बैंकिंग प्रसार, मोबाइल तथा वायरलेस कनेक्शन विस्तार,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>कारोबार तथा स्टार्टअप के लिए एपीआई, मध्य वर्ग का विस्तार होने से खर्च की जाने वाली आय में वृद्धि, भुगतान क्षेत्र में सरकार की पहल तथा नीतिगत पहल।</p> <p>6) नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया ने भारत में फिनटेक उद्योग को 4 प्रमुख खंडों जैसे वेल्थटेक, पेमेंट्स, लेंडिंग और इश्योरटेक में वर्गीकृत किया है। भुगतान के पहलू पर, फिनटेक में विभिन्न विकास देखे गए हैं। इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित यूपीआई प्लेटफॉर्म उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है, यह एक एप्लीकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्ट फोन के माध्यम से सक्षम है, यह भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने के लिए एक पंजीकृत वास्तविक पते का उपयोग करती है जिसने मोबाइल भुगतान क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उस समय से यूपीआई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में उभरा है। भुगतान के क्षेत्र में, विभिन्न फिनटेक फर्म जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता, भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट, व्हाइट लेबल एटीएम आदि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यह प्रथम तिमाही के आंकड़ों से भी देखा जाता है कि भारत ने दुनिया (चीन को पछाड़कर) में फिनटेक में अधिकतम निवेश आकर्षित किया है; भुगतान और ऋण, निवेश के मुख्य क्षेत्र हैं।</p> <p>7) वर्तमान में, वित्तीय क्षेत्र में फिनटेक के महत्व को देखते हुए, फिनटेक से संबंधित सभी गतिविधियों को</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>संभालने के लिए रिजर्व बैंक में एक विशेष विभाग की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 नवाचार पर निरंतर जोर देने की आवश्यकता को पहचानती है।</p> <p>8) डीएलटी से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लाभों और जोखिमों पर आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में चर्चा की गई है। डीएलटी की विशेषताएं जटिलता को कम करके, एंड-टू-एंड प्रसंस्करण गति में सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि और लेनदेन रिकॉर्ड कीपिंग में अपरिवर्तनीयता और नेटवर्क लचीलापन में सुधार, परिचालन लचीलापन और वित्तीय जोखिमों को कम करके वित्तीय सेवाओं और बाजारों को बदल सकती हैं। हालांकि, डीएलटी प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले परिचालन और सुरक्षा, मौजूदा प्रक्रियाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ अंतर-संचालन की कमी और डेटा अखंडता, अपरिवर्तनीयता और गोपनीयता से संबंधित मामलों के लिए नए या विभिन्न जोखिमों का सामना कर सकती है। चूंकि डीएलटी एक उभरती हुई तकनीक है जो व्यापक पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए अभी तक पर्याप्त रूप से मजबूत साबित नहीं हुई है, इसलिए न्यायालयों में लागू करना कानूनी पहलुओं पर अपनी चुनौतियां पेश करता है।</p> <p>9) आकस्मिक रूप में, क्रिप्टो करेंसी पर अंतर-मंत्रालयी समिति, जिसमें आरबीआई सदस्य था, ने भी डीएलटी के सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला है और भारत में डीएलटी के उपयोग के लिए, विशेष रूप से</p>	
--	--	--	---	--

			<p>वित्तीय सेवाओं में विभिन्न एप्लीकेशन का सुझाव दिया है।</p> <p>10) भारतीय के संदर्भ में, प्रूफ-आफ-कॉन्सेप्ट (पीओसी) को आईडीआरबीटी द्वारा प्रयोग के दो मामलों जो बैंकिंग और उपभोक्ता संपर्क: क्रेडिट का एक दृश्य पत्र और संवर्धित सूचना भुगतान (ईआईपी) के साथ घरेलू व्यापार वित्त को उजागर करने के साथ भारतीय बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की व्यवहार्यता विश्लेषण की सुविधा के लिए संरचित और अनुकूलित किया गया था। समग्र रूप में, पीओसी ने प्रयोग वाले मामलों का एक अच्छा प्रदर्शन प्रदान किया और प्रौद्योगिकी की समझ और अन्य वास्तविक जीवन के एप्लीकेशन के लिए इसकी समझ को व्यापक बनाने में मदद की, लेकिन मापनीयता और सुरक्षा के पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है।</p> <p>11) जबकि आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में डीएलटी और इसके का समर्थन करता है, आरबीआई वर्चुअल करेंसी (वीसी), डीएलटी के एक एप्लीकेशन से जुड़े जोखिमों से सावधान है, और इसलिए, कई मौकों पर वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को आगाह किया था।</p> <p>12) स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार फिनटेक उद्योग पर एक श्वेत पत्र जारी करे। फिनटेक उद्योग पर यह श्वेतपत्र हमें देश में वित्तीय क्षेत्र में इसे अंगीकार करने की सीमा / क्षमता को समझने और उसी के लिए उपयुक्त विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा तैयार करने में मदद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने स्तर</p>	
--	--	--	--	--

			<p>पर उभरते क्षेत्रों जैसे ब्लॉकचेन, एआई और फिनटेक में प्रासंगिक अनुसंधान करने के लिए अपने आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के भीतर एक नई फ्रंटियर्स इकाई की स्थापना की है। "वितरित लेजर प्रौद्योगिकी, ब्लॉकचेन और सेंट्रल बैंक" नामक एक लेख आरबीआई बुलेटिन (रॉय एट अल, 2020) में प्रकाशित किया गया था।</p> <p><u>स्रोत:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • एक्सिस बैंक (2017), "एक्सिस बैंक ने खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए रिपल-संचालित त्वरित भुगतान सेवा शुरू की", प्रेस विज्ञप्ति, 22 नवंबर • एचएसबीसी (2018), "एचएसबीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तरह के ब्लॉकचेन ट्रेड फाइनेंस ट्रांजैक्शन में से एक को निष्पादित करते हैं", प्रेस विज्ञप्ति, नवंबर 4 • मणिकंदन, क. (2019), "खुदरा भुगतान को सर्वप्रथम आरबीआई सैंड बॉक्स के अंतर्गत जांच हेतु कोहार्ट किया जाना है", इकनॉमिक टाइम्स, 4 नवम्बर • आरबीआई (2019), "रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क को सक्षम करना", भारतीय रिज़र्व बैंक, 13 अगस्त • रॉय, एम, ढाल, एस, और प्रियरंजन, एन (2020), "डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड सेंट्रल बैंक", भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, 11 फरवरी 		
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> यस बैंक (2019), "यस बैंक ब्लॉकचेन पर एशिया का पहला वाणिज्यिक पेपर निर्गम को कार्यान्वित करती है," प्रेस विज्ञप्ति, 11 जुलाई 		
15	15	<p>रुपे एक स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्रणाली है जिसे एनपीसीआई द्वारा भारतीय उपभोक्ता, बैंकों और मर्चेन्ट इको-सिस्टम की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह भारत का पहला तरह का घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे भारत में एटीएम, पीओएस उपकरणों और वेबसाइटों पर व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि "अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भागीदारों (डिस्कवर वित्तीय सेवा, जापान क्रेडिट ब्यूरो और चाइना यूनियन पे) के साथ गठबंधन किया गया है, जो रुपये (RuPay) कार्डधारकों को विश्व स्तर के भुगतान समाधान के साथ वैश्विक स्वीकृति और फुट प्रिंट प्रदान करता है। समिति की इच्छा है कि रुपये कार्ड को अन्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ समतुल्य पूरी तरह से वैश्विक बनाया जाना चाहिए।</p>	<p>नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सूचित किया है कि वह उत्पाद की वैश्विक स्वीकृति को बढ़ाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय साझेदारी बनाने पर काम कर रहा है। यह स्वीकृति "नेटवर्क से नेटवर्क" के माध्यम से रुपये कार्ड के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बनाई गई है। निरंतर सुविधा और गुणवत्ता ग्राहक सेवा प्रदान करने के अपने प्रयासों में, एनपीसीआई ने अपनी नेटवर्क क्षमताओं को विश्वसनीय वित्तीय खिलाड़ियों जैसे डिस्कवर वित्तीय सेवाएं और जापान क्रेडिट ब्यूरो इंटरनेशनल (जेसीबीआई) को साथ जोड़कर खुद को मजबूत किया है। रुपये वर्तमान में डीएफएस और जेसीबीआई बीआईएन का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जारी कर रहा है, जो डीएफएस / जेसीबीआई के नेटवर्क पर भारत के बाहर लाखों एटीएम / पीओएस टर्मिनलों / ई-कॉमर्स व्यापारियों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं - 80 मिलियन रुपये अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पहले से ही जारी किए गए हैं। वर्तमान में, डीएफएस की 44 मिलियन व्यापारी स्थानों पर स्वीकृति है जबकि जेसीबीआई में 100 से अधिक देशों में भारत के बाहर 30 मिलियन व्यापारी स्थानों पर स्वीकृति है। रुपये वर्तमान में पार्थ व्यवस्था के लिए सिंगापुर, यूएई, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, भूटान, बहरीन और मालदीव के साथ भी काम कर रहा है।</p>	जी, हां।	शून्य

16	16	<p>”समिति ने नोट किया है कि राष्ट्रीय अवसंरचना एवं निवेश निधि(एनआईआईएफ) एवं व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण 2020-21 के लिए बजट आबंटन क्रमशः 503.01 करोड़ रुपए एवं 240.69 करोड़ रुपए है। एनआईआईएफ के संबंध में, समिति आबंटन निधि के विभिन्न स्रोत के ब्रेक-अप को जानने की इच्छा रखती है एवं आबंटित निधि के उपयोग के विवरण से भी अवगत होना चाहती है। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण से संबंधित समिति ऐसा अनुभव कर रही है कि देश में लंबित योजनाओं को देखते हुए 240.69 करोड़ रुपए का आबंटन अत्यधिक कम प्रतीत होता है। समिति ऐसी इच्छा रखती है कि सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण को सदैव पर्याप्त बजटीय आबंटन प्रदान करने को सुनिश्चित करे।“</p>	<p>बजट अनुमान 2020-21 में 5465-01-190-40.00.54 शीर्ष के अंतर्गत 500.01 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, ‘प्रक्रियाधीन अवसंरचना के लिए सहायता’ हेतु 5475 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 22049.98 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस निधि से अवसंरचना परियोजना में कुछ निवेश भी किए जाएंगे।</p> <p>एनआईआईएफ ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना भी की है जिसमें (क) असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (‘एआईएफएल’)-एक एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी तथा (ख) एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल)- एक एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग कंपनी शामिल हैं। दोनों एनबीएफसी आरबीआई के साथ पंजीकृत हैं। 31 मार्च, 2020 तक एआईएफएल द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से, एनआईआईएफ सामरिक अवसर निधि (एनआईआईएफ प्लेटफार्म के तहत स्थापित तीन निधियों में से एक) एआईएफएल का 100% तथा एनआईआईएफ-आईएफएल का 89% स्वामित्व रखती है। एनआईआईएफ, सामरिक अवसर निधि (‘एनआईआईएफएसओएफ’) के माध्यम से, एनआईआईएफ प्लेटफार्म में, 1,899 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निवेश कर चुकी है।</p> <p>विभाग ने ऊपर उल्लिखित एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर</p>	जी, हां।	कोई नहीं।
----	----	---	--	----------	-----------

			<p>डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में सरकार द्वारा पूंजी निवेश के लिए एक ईएफसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार, 6,000 करोड़ रुपये की राशि का इक्विटी निवेश, बजट 2020-21 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना के लिए घोषित 22,000 करोड़ रुपये से भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। 6,000 करोड़ रुपये में से 2,000 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दिए गए हैं। यह आशा की जाती है कि भारत सरकार का निवेश निधि में निवेश को पेंशन निधियां एवं सॉवरेन वेल्थ फंड सहित निजी निवेश हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। प्रस्ताव दिनांक 21.07.2020 को सचिव, व्यय विभाग की अध्यक्षता में ईएफसी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा मंत्रिमंडलीय टिप्पणी को अनुमोदनार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।</p> <p>निधियों का परिनियोजन</p> <p>एनआईआईएफ की तीन निधियां हैं अर्थात् राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (मास्टर कोष), एनआईआईएफ निधियों की निधि-। एवं राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष-।। (या रणनीतिक अवसर कोष)</p> <ul style="list-style-type: none"> मास्टर कोष मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों जैसे कि परिवहन ऊर्जा, दूरसंचार, शहरी अवसंरचना इत्यादि में कंपनियों एवं परियोजनाओं में निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है। निधियों की निधि तृतीय पक्षकार निधि प्रबंधकों 		
--	--	--	---	--	--

			<p>द्वारा प्रबंधित निधियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> रणनीतिक अवसर कोष देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों में व्यापार परिमाण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। <p>भारत सरकार ने उपर्युक्त तीनों निधियों में आईएनआर 20,000 करोड़ भारतीय रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।</p> <p>(क) निवेश एवं निधि जुटाना</p> <ul style="list-style-type: none"> एनआईआईएफ की 3 निधियों ने अब तक भारत सरकार एवं अन्य निवेशकों से इक्विटी प्रतिबद्धता के 28,821 करोड़ रुपये जुटाए हैं। (इसमें से, कुल विदेशी प्रतिबद्धता 8,257 करोड़ रुपये है जिसमें से 5259 करोड़ रुपये 2019-20 के दौरान जुटाए गए थे)। इन निधियों के अलावा, निवेशकों ने इक्विटी सह-निवेश अधिकार में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के एक और अन्य के लिए हस्ताक्षर किए हैं। एनआईआईएफ ने 2 सॉवरेन धन निधियों, 3 अंतर्राष्ट्रीय पेंशन निधियों, 2 बहुपक्षीय विकास बैंकों, 1 द्विपक्षीय एजेंसी एवं 4 भारतीय वित्तीय समूह से इक्विटी पूंजी जुटाई है। एनआईआईएफ के निवेशकों में वैश्विक निवेशक जैसेकि एडीआईए, ओण्टोरियो टीचर्स पेंशन योजना, आस्ट्रेलियन सुपर फंड, सीपीपीआईबी, टेमासेक, एआईआईबी और मास्टर फंड एवं एफओएफ में एशियाई विकास बैंक शामिल है। 		
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • एनआईआईएफ के कोष के जरिए जुटाई गई ईक्विटी पूंजी दीर्घावधिक (15+ वर्षों) के लिए तथा भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित होती है जोकि एक अनुपम सम्मिश्रण है जिससे देश की सेवा निवेश अवसरों को उत्पन्न करने के रूप में अच्छे से की जा सकी है। • सऊदी अरब, यूएसए, जापान एवं इटली से निवेशकों के साथ विचार-विमर्श वर्तमान में जारी है जिसका परिणाम पर्याप्त अतिरिक्त कोष जुटाए जाने में हो सकता है। 2019 में शहजादे के दौरे के दौरान सऊदी अरब से समझौता जापान हस्ताक्षरित हुआ था तथा सभी सम्यक उद्यम भी तदुपरांत पूरी कर ली गई थी, परंतु यह निवेश के अनुमोदन के लिए शाही दरबार में लंबित है। <p>(ख) निवेश</p> <ul style="list-style-type: none"> • एनआईआईएफ ने कुल 9 संयुक्त उद्यमों में भागीदारी की है जिसमें यह निवेश करता है उसके जरिए कंपनियों एवं निधियों का प्रचालन कर रहा है। ये सभी मंच डीपी वर्ल्ड, सीडीसी-यूके, डीएफआईडी-यूके, पीएसपी कनाडा, ईईएसएल-इंडिया, ज्यूरिक एयरपोर्ट समूह अन्यो के बीच में सहित उच्च भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रचालकों एवं प्रबंधकों के साथ भागीदारी में हैं। • 15 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार, एनआईआईएफ ने निवेश में 9,800 करोड़ रुपये से अधिक की कुल प्रतिबद्धता की थी तथा 4700 करोड़ रुपए के करीब संवितरित किया था। एनआईआईएफ 	
--	--	--	--	--

			<p>के निवेश के अलावा, इसके प्रचालन साझेदारों ने अतिरिक्त 17,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता की है तथा 7000 करोड़ रुपये से अधिक का संवितरण किया है। यह गुणक प्रभाव एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि एनआईआईएफ को भारत सरकार की पूंजी का उपयोग दूसरों से पूंजी आकर्षित करने के लिए करना चाहिए।</p> <p>व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन के संबंध में यह कहा जाता है कि वीजीएफ की अपेक्षित मांग के लिए आकलन परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के द्वारा अनुमान पर आधारित होता है। इसके आगे, वीजीएफ संवितरण, रियायतग्राही द्वारा संचार इक्विटी जैसे कारकों पर निर्भर करता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों का संवितरण और परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय विकास कारकों को प्रभावित करता है। इसलिए, वीजीएफ योजना के अंतर्गत निधियों की वास्तविक गिरावट को पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता है। इस योजना में आबंटन के इच्छुक लिए वीजीएफ संवितरण में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।</p> <p>वस्तुतः सरकार वीजीएफ योजना को जारी रखने और इसका पुनर्गठन करने के लिए नए सिरे से एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।</p>		
--	--	--	---	--	--

Statement showing Action Taken on the recommendations/Observations contained in the Seventh Report of the Standing Committee on Finance (2019-20)(17th Lok Sabha)

S.No.	Recommendation Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
1	1	Demand No. 37 is a Composite Grant relating to Central Civil Pension Payments. The Actual expenditure for Pension and other Retirement Benefits are substantively increasing year after year. The committee suggested that the Central Government may undertake a comprehensive study of the long term pension liabilities to have a better understanding our long term liabilities in general.	<p>Expenditure under MH:2071-Pension and other Retirement Benefits from FY 2015-16 to 2019-20 increased from ₹27558 crores to ₹50093 Crores (As per Appropriation A/c StageII) i.e 82% in last five years. This increase in expenditure is mainly due to revision in pension by 7th CPC and increase in rate of employers's/Government contribution from 10% to 14%. of DCPS.</p> <p>Expected long term liability under the above major head for the FY 2020-21 is of ₹ 62125 crores (Budget Estimates) which may increase upto ₹170282 crores by the FY 2029-30 i.e. 175% in upcoming 10 years The average increase has been calculated @ 10% per year as per previous trend due to general increase in DA twice in a year. Further, 10% additional increase for the financial year 2026-27 & 2027-28 has been considered due to expected pay commission in the year 2026-27.</p>	Accepted	-
2	2	Outlay in Major Sectors and Major	The recommendations/observations of Standing Committee on Finance on utilisation of budgetary allocations in a	Accepted.	

		<p>Schemes</p> <p>The Committee are pleased to note from the Union Budget 2020-21 documents that there have been increased outlays in the BE 2020-21 over the RE 2019-20 in Major Sectors. As such, there is ₹ 33,292 crore increases in 2020-21 outlays in the Aspirational India cluster, consisting of Educational & Skill Development, Wellness, Water Sanitation, Agriculture sectors over the RE of 2019-20. There is an increase in the 2020-21 outlays in the Financial Sector (Banking, Insurance, Infra Finance etc.) by ₹ 16,747 crore over the RE 2019-20. The allocations under Economic Development, New Economy and Caring</p>	<p>focussed manner have been noted.</p> <p>Since 2017-18, in addition to the financial outlays of schemes of the Ministries being indicated in the Budget documents, the expected outputs and outcomes of the schemes are also being presented in a consolidated Outcome Budget document, along with the Budget. These Outlays, Outputs and Outcomes are being presented to the Parliament in measurable terms, bringing-in greater accountability for the agencies involved in the execution of government schemes and projects. Outlay is the amount that is provided for a given scheme or project in the Budget; while Output refers to the direct and measurable product of program activities, often expressed in physical terms or units. Outcomes are the collective results or qualitative improvements brought about in the delivery of these services.</p> <p>The Outcome Budget presents (a) the financial outlay for the year (b) clearly defined outputs and outcomes (c) measurable output and outcome indicators and (d) specific output and outcome targets. This will significantly enhance transparency, predictability and ease of understanding of the Government's development agenda. Through this exercise, the Government aims to nurture an open, accountable, pro-active and purposeful style of governance by transitioning from mere outlays to result-oriented outputs and outcomes. This effort will enable Ministries to keep track of the scheme objectives and work towards the development goals set by them. The document contains Output-Outcome Framework for major Central Sector (CS) Schemes and Centrally Sponsored Schemes (CSS) with outlay of ₹ 500 crore and greater.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>Society clusters, also witness quantum increase. In this regard, the Committee expect the Government to harness/utilize the budgetary allocations in a focused manner to achieve the intended outcomes of the Budget. At this juncture, the Committee feel pertinent to highlight that Budget provisions need to be channelized efficiently, lest avoidable hardship occurs to the States and the intended beneficiaries. For instance, State Civil Supply Corporation of Odisha procured paddy on behalf of Food Corporation of India (FCI) as the mandate of FCI is to provide about 90% as subsidy. Since the subsidy is not</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>forthcoming from the Central Government, FCI is unable to pay the State Civil Supply Corporation. The State Corporation in the meantime, is paying a certain rate of interest for the loan it has availed from banks to procure the paddy.</p>			
3	3	<p>The Committee further note that except for a few major schemes such as Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREG). National Social Assistance Programme and Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes, all other major schemes enjoyed substantial increase in the</p>	<p>Department of Expenditure vide its OM 66(59)/PFC.II/2018 dated 17.08.2019 followed by different reminders /suggestions has already directed all Ministries/Departments to undertake independent third-party evaluation of all public funded schemes/ programmes before continuation of schemes/ programmes for the 15th Finance Commission Cycle period. NITI Aayog has been entrusted to conduct the evaluation of the centrally sponsored schemes whereas evaluation of the central sector schemes is being done by respective Ministries/Departments. DoE vide its OM 66(59)/PFC.II/2018-Pt dated 22.5.2019 has also issued a sample ToR for Central sector schemes according to which evaluation of third party will be conducted. Third party evaluations are expected to capture output-data as regards: (i) The time taken by the beneficiaries to access their bank accounts; (ii) The mechanism under the Scheme for informing the beneficiaries. Evaluation report of the schemes/ programme will be considered at the time of appraisal and approval of the</p>	Accepted.	

		<p>Budgetary allocation for 2020-21 over the allocations for 2019-20.</p> <p>To mention some, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Jal Jeevan Mission (JJM), PMJAY-Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM Kisan), Pradhan Mantri Swastha Suraksha Yojana (PMSSY) etc. received increased allocations over the 2019-20 RE by ₹ 5430 crore, ₹ 2172 crore, ₹ 1499 crore, ₹ 3115 crore, ₹ 20630 crore, ₹ 1287 crore respectively. In this regard, the Committee find it pertinent to mention that to reach</p>	<p>schemes in the 15th Finance Commission Cycle. These evaluation reports will reveal details about impact of govt. schemes at the micro-level.</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>the intended beneficiaries under various social schemes remains a challenge even after putting in place electronic payment/transfer system such as Direct Benefit Transfer (DBT) system/PFMS. The beneficiary/ account holder needs to be made aware about the operations of the Bank account, because in many cases especially in the remote/ rural areas, the account holder is not aware that money has been transferred to his account. The Committee would therefore like to urge the Government to conduct an independent survey/audit to collect</p>			
--	--	--	--	--	--

		robust statistics across the length and breadth of the country to ascertain the impact of various Government Programmes at the micro/field level. State-wise details in the regard may be furnished to the Committee.			
4	4	The Committee note that in 2017-18 the Budget Outlay for Department of Economic Affairs (DEA) Demand no. 27, as a whole was Rs 15455.84 and the same was scaled up to Rs 15690.42 at RE stage (increased by Rs 234.58 crore); the actual expenditure, however, was Rs 9490.22 crore resulting in utilization shortfall by Rs 6200.20 crore.	<p>During 2017-18, the original grant was ₹15455.84 crore. This was augmented to ₹15690.42 crore by obtaining supplementary grant of ₹234.58 crore. Against this, the actual expenditure was ₹9490.22 crore, resulting in savings of ₹6200.20 crore. The reason for this saving was as follow:-</p> <p>i. on account of shifting of provision of reimbursement of MDR Charges to Major Head – 2075;</p> <p>Non-finalization of agreement with the potential international and domestic investors for commercial capital to invest in commercially viable infrastructure projects under National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).</p> <p>2. During 2018-19, the original grant was ₹18329.46 crore. This was augmented to ₹31810.94 crore by obtaining supplementary grant of ₹13481.48 crore. Against this, the actual expenditure was ₹22950.19 crore, resulting in savings</p>	Accepted	

	<p>Under the same Demand, in 2018-19, the RE and Actual registered a mismatch by Rs 8860.75 crore again (shortfall in utilisation). The DEA explanation for the reasons for shortfall in actual expenditure include less expenditure on establishment matters, lesser participation by people and Institution in Gold and Monetisation scheme 2015 during the last few months of financial year etc. The Department also further submitted that <i>‘most of the savings were largely due to post budget decisions/ non-finalisation of schemes/exchange rate variations etc. which</i></p>	<p>of ₹8860.75 crore. Following were the reasons for saving:-</p> <ol style="list-style-type: none"> less expenditure on Establishment matter such as Professional services, Advertisement and Publicity, Publication, Information Technology (Office Expenses), Medical, LTC leave encashment; Shifting of MDR Charges from DEA to Ministry of Electronics and Information Technology (Meity), Shifting of provision of National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) from Revenue section to Capital section. Lesser participation by people and Institutions in Gold Monetization Scheme 2015 during the last few months of financial year. <p>3. In addition to above, major saving during F.Y. 2017-18 & F.Y. 2018-19 were also on account of poor lifting / downward revision of indent of coins by RBI, non-finalization of scheme under Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC) and National Investment Fund (NIF). Further, a Central provision of ₹3000.00 crore each was made for new announcements during 2017-18 & 2018-19 under the Head “New Schemes”. However, various schemes were introduced by other Ministries / Departments and suitable augmentations were provided through supplementary grants etc. in those Ministries / Departments in place of DEA. The shifting of provisions through supplementary in other Ministries / Departments results into savings in DEA. Savings were also due to non-requirement of funds</p>		
--	---	---	--	--

		<p><i>could not be visualized at the time of framing of Budget estimates'. The Committee are not convinced by the explanation submitted by the Department of Economic Affairs for such huge budgetary mismatch. The Committee are unable to comprehend as to how the nodal department for formulation and preparation of the Union Budget could make large allocations for schemes, which were not finalized or concretised at the time of framing of Budget Estimates. The Committee desire that Budget Estimates should be done with greater due diligence and greater</i></p>	<p>towards New Arrangement to Borrow (NAB). Since, it is an international obligation and payments are required immediately on receipt of demands from the IMF, adequate provisioning in the Budget is necessary so that there is no short fall in meeting IMF obligations as any shortfall would be a breach of the existing international agreement. Exchange rate variation is also an important factor which is kept in mind while estimating the requirement for subscription/payments under international obligations.</p> <p>4. From the above explanations for F.Y. 2017-18 & 2018-19, it may be observed that funds were provisioned on genuine demands and there appears to be no inconsistency in the budget formulation of D/o Economic Affairs. Furthermore while making distribution of BE allocation, the guidelines of D/o Expenditure for expenditure management issued from time to time and expenditure trend of previous years and exchange rate variation of INR etc. are also taken into consideration.</p> <p>5. However in view of above and keeping in view the observation of the Standing Committee on Finance, this time (F.Y. 2020-21) more efforts have been made to make the realistic estimation of requirement so that the allocated funds are utilized to the maximum extent. For instances:-</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>objectivity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> i. Only token provisions have been made for ‘New Schemes’ and ‘Investment in Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC)’. ii. The provision for Investment in National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) Limited and management fee thereof has been reduced to ₹503.01 crore. iii. The provision for purchase of coins from Security Printing & Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) has been reduced to ₹1500.00 crore. <p>6. It may also be stated that budget outlays are generally made considering the approval of the schemes by the competent authority, anticipating devising mechanism for implementation. However, expeditious scheme implementation depends on many factors such as drawing up detailed scheme implementation guidelines, selection of implementing agencies, compliance of various statutory requirements before release of funds etc. In certain cases, sluggish responses than anticipated results into slow pick-up of the schemes. As a corollary, these factors contribute to less utilisation of funds made at the time of Budget Estimates.</p> <p>However, efforts are made to avoid the large mismatch between the budget allocation and utilisation.</p>		
--	--	----------------------------	---	--	--

5	5	<p>As per the evidence provided during the Demand for Grants Hearings, the Department of Economic Affairs prepares the Budget every year using spreadsheet based modelling. This modelling approach appears to be inadequate given the following factors: (1) wide variations in key exogenous parameters including oil prices, global interest rates and shocks such as the ongoing Coronavirus pandemic; (2) fluctuations in revenue collections during the year; (3) difficult in accurately predicting one-off items such as spectrum revenues and disinvestment proceeds; and (4) inaccurate estimation of major expenditures such as pensions and</p>	<p>It may be submitted that estimates are generally made depending on fixed costs, regular incidence, schedule payments and payments arising out of maturity. Contingency element is also factored in finalizing the estimates. However, wild variations arising out of extraordinary situations like exchange rate variations, international oil prices and market related interest rates cannot be anticipated, estimated and included precisely. Review of the estimates made at the time of Budget is conducted regularly and corrections in estimates effected in mid-year review and the same is reflected in Revised Estimates.</p> <p>The recommendations of the Committee will however be kept in view and the methods in estimation modified suitably.</p>	Accepted.	
---	---	--	--	-----------	--

		<p>interest expenses. In addition, nominal GDP and inflation rates can also deviate significantly from the Budgetary assumptions. Given these risks and uncertainties, the Department needs to strengthen its analytical modelling capabilities.</p>			
6	6	<p>The Committee believe that the Department of Economic Affairs should work with various external research institutes (such as the National Institute for Public Finance and Policy or the National Council of Applied Economic Research) to develop robust macro models for the Indian economy. These models can then be utilized to look at various economic scenarios and examine</p>	<p>Budget exercise is an independent and sensitive exercise done by Ministry of Finance. Overall framework of Budget is largely guided by the fiscal indicators/rolling targets set under Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003. Government, faced with the task of implementing counter-cyclical policies while walking the fiscal tight rope, has focused on maintaining the quality of expenditure. It has been the endeavour of the Government to ensure that fiscal situation remains close to the consolidation path. Assumptions for Gross Tax Revenues for the year 2021-22 and 2022-23 are brought out in Medium Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement, laid as part of Budget documents. As regards the non-tax receipts, the estimates of dividend receipts are based on the performance of CPSUs and overall economy. Interest receipts are a fixed return and based on the loan outstanding.</p>	Accepted.	

		<p>the implications of various risks on Budgetary assumptions. These models can also assist the Standing Committee for Finance and other key stakeholders to stress-test economic assumptions and Budget projections. Indeed, every major economy around the world has multiple such model-based research centers that are housed in university economic departments, think tanks, central banks and the government. It is essential that the Department of Economic Affairs undertake a concerted effort to develop such research centers for India models as well as models at the State level as well.</p>			
--	--	---	--	--	--

7	7	<p>Under Demand No. 28, (DoE), Object Head, Major Head No. 3475/2070/2052 there have been consistent shortfalls since 2017-18 in utilization against budget allocations. The reasons given by DoE include delay in procurement of hardware and software for the upgradation of PFMS, in hiring of requisite technical manpower, non-completion of the procurement process in time, non-filling up of sanctioned Group 'A' and Group 'B' posts in the State Directorate of PFMS and delay in training programmes for State Government officials. These delays have persisted for three years, since 2017-18. The Committee are apprehensive that</p>	<p>As regards the Committee's recommendations, it may be pointed out that both the aspects of procurement of IT infrastructure for PFMS and hiring of technical manpower have been taken care of in Financial Year 2019-20. The pending procurement of hardware and software for Data Centre (DC), Shastri Park, New Delhi and Data Recovery Centre (DRC), Hyderabad worth ₹ 96.247 crore have been completed. The procurement of various Hardware and Software items for upgradation of infrastructure, implementation of PM-KISAN Yojana, Unified Application Performance Monitoring Tool for PFMS and 152 BizTalk licences were completed in FY 2019-20.</p> <p>Further, regarding hiring of 120 technical manpower, presently 116 professionals are taken onboard and are working in PFMS.</p> <p>Expenditure of ₹ 142.94 crore was booked against final allocation of 153.00 crore under "IT (OE)" [<i>₹ 10.30 crore could not be booked due to restrictions on transport movements due to lockdown</i>]. Further, Expenditure of ₹ 22.1940 crore was booked against final allocation of ₹ 22.6940 crore under "Professional Services".</p> <p><u>Manpower/HR issues</u></p> <p>The implementation of Public Financial Management System (PFMS) project initiated under the erstwhile Planning Commission was transferred to the Ministry of Finance, Department of Expenditure in 2015. 259 posts (84 Group A posts, 169 Group B posts and 6 Group C posts) were created for the project. It was envisaged that the newly created posts for implementing the</p>	Accepted	
---	---	--	---	----------	--

		<p>delayed payments to end users/beneficiaries of various Government flagship schemes and programmes could be caused by upgradation delays and logistic failures in respect of PFMS managed by the Department of Expenditure. The delayed payments to States, vendors and beneficiaries of Government schemes remains a pain-point. The Committee therefore, desire that the Department of Expenditure should expedite all pending work with regard to PFMS to avoid further delay and lumpiness in utilization of budget allocations.</p>	<p>PFMS project would be filled up as far as possible from already available officers/staff within the "CGA" system and the remaining by officers on deputations. However, on account of lack of clarity in the modalities involved, in particular relating to deputation, could not be manned fully and only a limited number of Group 'A' posts could be filled up by taking officers from the organization of CGA. The Group 'B' & 'C' posts are being manned by officials of CGA's organization.</p> <p>Subsequent to the Expenditure Finance Committee (EFC) meeting on 29.07.2019 chaired by Secretary (Expenditure) and the recommendations made in respect of PFMS that it would cease to be a Central Sector Scheme and all activities of the PFMS along with the outputs/deliverables would form a part of regular functions of CGA, a proposal for restructuring of manpower of PFMS to create a unified and cohesive organizational structure is under active consideration of the Department.</p>		
8	8	<p>The committee understands that gross bank credit in Industry (micro, small, medium and large) as on January 31, 2020 was</p>	<p>With regard to gross bank credit trends, it is submitted that as payments cycles for businesses and governments coincide with the closing of the financial year in March, and as the payments and borrowing cycles are linked, borrowing tends to peak in March. Therefore, the standard practice in assessing credit trends is to measure change on a year-to-</p>	Accepted	<p>Banks have been equipped for playing the role of growth engine in times to come</p>

	<p>₹2817525 crore as against ₹2885778 crore as on March 2019 i.e. decrease by -2.4%; in Micro and Small industry it was ₹373050 crore as on January 31, 2020 as against ₹375505 crore i.e. -0.7% decrease. The banking credit offtake in general experienced a decline. The Committee hope this decline will be arrested soon and bank credit will play the role of growth engine in times to come.</p>	<p>year basis (<i>i.e.</i>, on 12-month intervals). On a year-on-year basis, there was no decline in credit for Industry (as well as Micro & Small Industry) in January 2020 or by the end of the financial year 2019-20 in March 2020. Details of growth of credit are as under:</p> <p style="text-align: right;">In crore ₹</p> <table><tr><th></th><th>Industry (Micro & Small, Medium and Large)</th><th>Micro &Small Industry</th></tr><tr><td>January 2019</td><td>27,50,038</td><td>3,71,022</td></tr><tr><td>January 2020</td><td>28,17,525</td><td>3,73,050</td></tr><tr><td>March 2019</td><td>28,85,778</td><td>3,75,505</td></tr><tr><td>March 2020</td><td>29,05,151</td><td>3,81,825</td></tr></table> <p><i>As per sectoral deployment of credit data of RBI for 33 scheduled commercial banks (SCBs), accounting for about 90% of total non-food credit</i></p> <p>A number of steps have been taken to support flow of credit by banks, including, <i>inter alia</i>, the following:</p> <p>(1) To provide liquidity for ensuring enhancement of lending capacity and extend financing to stalled projects,—</p> <p>(i) Overall positive liquidity has been maintained through open market operations by RBI, reduction in cash reserve ratio (CRR), increased access to funds under the Marginal Standing Facility and treating incremental credit of banks to non-banking financial companies (NBFCs) as high-quality liquid assets for calculation of the former’s liquidity coverage ratio;</p>		Industry (Micro & Small, Medium and Large)	Micro &Small Industry	January 2019	27,50,038	3,71,022	January 2020	28,17,525	3,73,050	March 2019	28,85,778	3,75,505	March 2020	29,05,151	3,81,825	<p>through action as detailed in the action taken column.</p>
	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	Micro &Small Industry																
January 2019	27,50,038	3,71,022																
January 2020	28,17,525	3,73,050																
March 2019	28,85,778	3,75,505																
March 2020	29,05,151	3,81,825																

			<p>(ii) Enhance credit flow and liquidity support to the NBFC sector, through—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Partial Credit Guarantee Scheme for purchase of high-rated pooled assets of NBFCs; (b) Bank credit to NBFCs for on-lending being classified as priority sector; (c) Banks co-originating loans with NBFCs; and (d) Linking of the risk weights for bank credit to NBFCs to the external credit rating of the borrowing NBFC, thereby incentivising lending to well-rated NBFCs. <p>(iii) Enable financing for stalled housing and real estate projects through—</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) An Alternate Investment Fund has been set up to finance affordable and middle-income housing sector projects and NBFCs including housing finance companies (HFCs) are also eligible for finance from the fund; and (b) Allowing of deferment by one year of the date of commencement of commercial operations (DCCO) in commercial real estate projects delayed due to reasons beyond control. <p>(2) To facilitate and incentivise lending,—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) lending rates have been reduced through— <ul style="list-style-type: none"> (a) Successive reductions since February 2019 in the benchmark repo rate and the reverse repo rate, with sharper cut in the latter, to reduce lending rates and spur lending; and 		
--	--	--	--	--	--

			<p>(b) Linking of fresh floating loans for lending for retail and micro, small and medium enterprises (MSMEs) to the repo rate or other external benchmark, for automatic transmission of the benchmark rates to the borrower;</p> <p>(ii) Lending has been promoted through—</p> <p>(a) Providing additional emergency credit line of up to 20% of outstanding credit, as on 29.2.2020, for total credit of up to ₹ 3 lakh crore, to business entities banking with PSBs and having outstanding credit of up to ₹ 25 crore and turnover of up to ₹ 100 crore;</p> <p>(b) Providing of additional loan facility by PSBs as emergency relief to their existing borrowers, without additional margin, security or processing fee;</p> <p>(c) Scheme for restructuring of loans to MSMEs;</p> <p>(d) Launch of the Trade Receivables Discounting System (TReDS) platform, to enable online financing of trade receivables of MSMEs on competitive terms;</p> <p>(e) Launch of PSB59minutes.com platform, to enable contactless, quick and hassle-free digital initiation of lending for MSME and retail loans;</p> <p>(f) Giving of relief to banks in their CRR requirement, for incremental lending to automobiles, residential housing and MSMEs from February to July 2020, thereby incentivising lending for these</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>purposes; and</p> <p>(g) Reduction of risk weights on consumer loans (other than credit cards), thereby incentivising retail lending;</p> <p>(iii) Export credit has been incentivised by expanding the eligibility for classification of such credit as priority sector lending; and</p> <p>(iv) External commercial borrowings have been facilitated through expansion of eligibility to include all entities eligible to receive FDI and reduction in the minimum average maturity requirement of the borrowing to three years.</p>		
9	9	<p>The Committee are informed that Government has taken up various steps for the benefit of MSMEs, which include relief on Cash Reserve Ratio requirement of banks on incremental outstanding loans for automobiles, residential housing and MSMEs between 31.01.2020 and 31.07.2020 extension of last date for restructuring of loans from 31.03.2020 to 31.12.2020 etc. However, the</p>	<p>Delayed payments are continuously being monitored by Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MoMSME) through their Samadhaan portal/ website which is also available in public domain. A meeting with the major PSUs was also taken by Secretary (Expenditure) & Secretary (Economic Affairs) on 27.08.2019 to review the pending payments to Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) by PSUs. During the meeting, PSUs were directed to make payments to vendors, MSMEs as well as to big companies as promptly as possible in order to ensure adequate money supply/ liquidity in market. Further to this Meetings were taken by Hon'ble Finance Minister on 27.09.2019 with Central Ministries and on 28.09.2019 with PSUs to review pending payments in Central Ministries & PSUs. Central Ministries were directed to immediately clear all dues with regard to supply of works, goods and services which are not either under litigation or arbitration. It should also include all agencies viz. Attached/Subordinate offices/Autonomous Bodies/Statutory Bodies or Central Public Sector Undertakings (CPSUs) etc working under</p>	Yes	

		<p>Committee find that MSMEs operations are hindered by delayed payments by Central Government/CPSEs and State Governments. The Government should therefore issue necessary instructions to the concerned authorities to make prompt payment of dues to the MSME sector and a system put in place to ensure payments due to MSMEs are done without any delay in future.</p>	<p>their control. Similarly, PSUs were directed to clear all outstanding dues, excluding the cases in litigation and arbitration etc. Financial Advisors of the concerned Ministries/Departments have also been instructed to regularly monitor the pending payments and report the status in their monthly DO letters to Secretary(Exp). The PSUs were also directed to set up a portal that shall have the feature of online bill submission by vendor, bill tracking, payment status etc.</p>		
10	10	<p>MSMEs are still facing significant difficulties in getting government payments in time. This is causing them considerable hardship and also triggering loan defaults in some cases. The Committee notes that the TReDS system may still not being fully utilized by</p>	<p>In order to enable better utilisation of Trade Receivables Discounting System (TReDS) by government entities, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (M/o MSME) has issued a Notification No. S.O 5621(E) dated 2.11.2018 (Appendix-A) stipulating that all Central Public Sector Enterprises (CPSEs) shall be required to get themselves onboarded on the TReDS platform. The Notification further provides that the Department of Public Enterprises, Government of India shall be the competent authority to monitor the compliance of such instructions by Central Public Sector Enterprises.</p> <p>M/o MSME has further intimated that it is monitoring the registration of CPSEs with the help of the Department of</p>	Yes	

		government entities. By ensuring that all government invoices are uploaded on TReDS, the government can get MSMEs their payments as quickly as possible. Every government entity should also be monitoring whether payments are being provided in a timely fashion and exceptions must be fully evaluated.	Public Enterprises. For ensuring timely payment from the Government Department / CPSEs, Secretary (MSME) has issued a D.O letter dated 18.5.2020 (Appendix-B) to all the Secretaries of Government of India requesting for release of pending payments to MSMEs at the earliest.		
11	11	From the data which was furnished to the committee by Department of Financial Services, it was observed that there are wide disparity among the States in terms of Credit-Deposit Ratio (CDR). For instance in 2019 March, the CDR of Tripura was 127.1% for Arunachal, it was only 8.09%; for	District Annual Credit Plan (ACP) is prepared by the Banks in consultation with district level Government officials and monitored through District Level Coordination Committee (DLCC). The ACP of all the district in a State/UT are integrated into State ACP and is monitored at State Level Bankers' Committee (SLBC). SLBC meetings are attended by senior officers from State Government, representatives of Department of Financial Services, RBI, NABARD and participating banks/financial institutions. If there is any shortfall in the achievement of targets of ACP including CD Ratio, the same is monitored by SLBC for its improvement. For CD Ratio, instructions contained in the RBI's Master Circular – Lead Bank Scheme are followed to improve the shortfall. CD Ratio is also a function of credit absorption capacity which is dependent on the development level of the	Accepted	Governance reforms and restoration of competitiveness of Public Sector Banks have been vigorously pursued through actions as detailed in action taken column.

		<p>Rajasthan it was 112.5% whereas in the same year it was 36.2%. The Committee desire that the Ministry of Finance should take up pro-active measures to augment banking credit flow in States with low CD Ratio in particular and to achieve parity among the States. The Committee also urges to Government to ensure that non collateral loans must be disbursed, adhering to the collateral-free norms strictly. Furthermore, the Committee understands that since 2014, the Government has infused about ₹3,50,000 crore by way of capital into Public Sector Banks for regulatory and growth purposes. At this juncture, the banks are thus adequately</p>	<p>states in the form of availability of necessary infrastructure facilities required for, varying ability of different regions to absorb credit, etc.</p> <p>For restoring competitiveness of PSBs, Government has adopted a comprehensive approach of reforming PSBs in key areas, including through—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) industry-benchmarked improvement in turnaround time; (2) industry-benchmarked improvements in digital banking services; (3) competitive pricing; (4) customer-need driven marketing strategy and reach; and (5) prudential lending and effective loan lifecycle management. <p>(1) <i>Turnaround time (TAT)</i>: Under the PSB EASE Reforms initiated in January 2018, TAT for retail credit has been systematically improved through initiatives like deployment of loan management systems and centralised processing hubs and the progress has been benchmarked against leading private sector banks. As per TransUnion CIBIL data for PSBs having business of over ₹ 5 lakh crore, TAT measured in terms of the interval between credit report inquiry from the credit information company and credit disbursement for six such PSBs (State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India and Bank of India) benchmarked against the four</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>provisioned with capital too. However, the committee is apprehensive that the PSBs seen to have lost their competitiveness and thus their market share and valuation substantially in the process. While acknowledging the steps taken by Government so far like strengthening the Board Committee system, improving the effectiveness of non-official directors, empowering the Board to recruit Chief Risk Officer at the level of Chief General Manager etc., the Committee expects the Government to pursue these governance reforms vigorously for a resilient and vibrant banking system in the country.</p>	<p>private sector banks of comparable business size (HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank and Kotak Mahindra Bank), for the fourth quarter (Q4) of the financial year (FY) 2018-19, shows that PSBs are competitive vis-à-vis private sector peers. Details are as under:</p> <table><tr><th>Loan type</th><th>TAT for PSBs</th><th>TAT for private sector banks</th></tr><tr><td>Home loan</td><td>30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)</td><td>31.2 days</td></tr><tr><td>Automobile loan</td><td>7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)</td><td>17.7 days</td></tr><tr><td>Personal loan</td><td>9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)</td><td>20.9 days</td></tr></table> <p>Source: TransUnion CIBIL / IBA (EASE Reforms); for PSBs with business above ₹ 5 lakh crore and private sector banks with comparable business</p> <p>(2) <i>Digital banking services:</i> Mobile and Internet banking have been systematically improved in terms of number of services offered, customer-friendliness and local language customer-interface and benchmarked against leading private sector banks:</p>	Loan type	TAT for PSBs	TAT for private sector banks	Home loan	30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)	31.2 days	Automobile loan	7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)	17.7 days	Personal loan	9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)	20.9 days	
Loan type	TAT for PSBs	TAT for private sector banks													
Home loan	30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)	31.2 days													
Automobile loan	7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)	17.7 days													
Personal loan	9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)	20.9 days													

			<table><tr><td>Mobile & Internet banking</td><td>PSB average For banks with business \geq ₹ 5 lakh crore (March 2020)</td><td>Pvt. sector bank average For banks with comparable business (March 2020)</td></tr><tr><td><i>Avg. number of services</i></td><td>39</td><td>37</td></tr><tr><td><i>Avg. customer-friendly features</i></td><td>120</td><td>94*</td></tr><tr><td><i>Avg. local languages available</i></td><td>8</td><td>1</td></tr></table> <p>Source: EASE Reforms data (Indian Banks' Association)</p> <p>* as of June 2019</p> <p>(3) <i>Competitive pricing</i>: PSBs have generally been offering credit at rates of interest that are significantly more competitive than their private sector bank peers. Details are as under:</p> <table><tr><td></td><td>PSB median (as on 31.5.2020)</td><td>Private sector bank median (as on 31.5.2020)</td></tr><tr><td>One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)</td><td>7.83%</td><td>9.08%</td></tr></table> <p>Source: RBI</p>	Mobile & Internet banking	PSB average For banks with business \geq ₹ 5 lakh crore (March 2020)	Pvt. sector bank average For banks with comparable business (March 2020)	<i>Avg. number of services</i>	39	37	<i>Avg. customer-friendly features</i>	120	94*	<i>Avg. local languages available</i>	8	1		PSB median (as on 31.5.2020)	Private sector bank median (as on 31.5.2020)	One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)	7.83%	9.08%		
Mobile & Internet banking	PSB average For banks with business \geq ₹ 5 lakh crore (March 2020)	Pvt. sector bank average For banks with comparable business (March 2020)																					
<i>Avg. number of services</i>	39	37																					
<i>Avg. customer-friendly features</i>	120	94*																					
<i>Avg. local languages available</i>	8	1																					
	PSB median (as on 31.5.2020)	Private sector bank median (as on 31.5.2020)																					
One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)	7.83%	9.08%																					

			<p>(4) <i>Customer-need driven marketing strategy and reach:</i> PSBs have been the principal source of finance for several segments and areas insufficiently served by other lenders and financial markets, such as rural areas, weaker sections, agriculture, housing and education. Private sector banks, on the other hand, focus on serving the relatively better-off class of customers. PSBs, while continuing to cater to the banking needs of the masses, also need to augment income and enhance profitability through competitiveness in those segments in which private sector banks have an edge. To this end, the following reform initiatives have been pursued under PSB EASE Reforms:</p> <p>(छ) Sales force in the form of dedicated marketing officers in PSBs has doubled from 8,920 officers in March 2018 to 18,053 in March 2020.</p> <p>(ज) Sourcing of loans through the salesforce and marketing tie-ups has quadrupled from 7% of the total loans sources in Q4 FY2017-18 to 31% in Q4 FY2019-20.</p> <p>(झ) Cross-sell of non-banking financial products has made available bouquet of financial products to the customer.</p> <p>(ञ) Digital initiation of lending for retail and MSMEs has been launched through PSBloansin59minutes.com.</p> <p>(ट) Trade Receivables Discounting System (TReDS) has been onboarded by all PSBs and PSBs are now competitively accessing the trade receivables</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>discounting market.</p> <p>(४) A comprehensive agenda for smart, tech-enabled banking has been adopted for FY2020-21, under which, inter alia, PSBs have—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Initiated eShishu Mudra launched for straight-through processing of loans to micro-enterprises; (ii) Started providing customer-need driven credit offers through analytics; (iii) Begun instituting an integrated account management framework for large corporates, with single-point relationship manager for seamlessly meeting their requirements across business verticals within the bank; (iv) Put in place advanced queue management systems in transaction-intensive branches, with single-window operations, to reduce customer waiting and transaction time; and (v) Introduced centralised processing hubs for faster time-bound processing and app-based loan application and offers for agricultural loans. <p>(5) <i>Prudential lending and effective loan lifecycle management:</i> Weaknesses in appraisal and monitoring in PSBs resulted in poor asset quality, resulting in stressed financials that adversely impacted their ability to lend or to make investments to improve systems and expand products and services. These have been systemically addressed through—</p> <p>(५) technology- and data-driven risk assessment with prudential underwriting and pricing systems, for</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>which—</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Risk Scoring and Scrutiny Systems that comprehensively factor in third-party data and non-financial factors and provide for higher scrutiny of high-risk cases have been introduced in banks; (ii) adherence to risk-based pricing has been substantially improved; and (iii) improved credit policies have been adopted that provide for improved consortium lending, ring-fencing of cash flows and disbursement arrangements; <p>(च) setting up of loan management systems;</p> <p>(छ) introduction of Early Warning Signals (EWS) systems in banks, with ~80 EWS triggers including third-party data and workflow for time-bound remedial actions;</p> <p>(ज) specialised monitoring for time-bound action in case of stress and focussed recovery arrangements through Stressed Assets Management Verticals in banks which recovered ₹ 1.21 lakh crore in the preceding two financial years (till Q3 of FY2019-20) and have put in place one-time settlement platforms and portals, eBक्रय platform for online auction and eDRT for online recovery case management.</p> <p>Enabled by the reforms, there has been perceptible improvement in the financial performance of PSBs, with—</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>(च) Gross NPAs reducing from ₹ 8.96 lakh crore in March 2018 to ₹ 7.17 lakh crore in December 2019;</p> <p>(छ) Record recovery of ₹ 2.62 lakh crore being effected since March 2018 till December 2019;</p> <p>(ज) Fresh slippage into NPA reducing from a peak of 8.34% in FY2017-18 to 3.88% for the 12-month period ending December 2019 (as against 4.72% for private sector banks during the same period). Details are as under:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances</td></tr><tr><td></td><td>PSBs</td><td>Private Sector Banks</td></tr><tr><td>FY2017-18</td><td>8.34%</td><td>4.73%</td></tr><tr><td>FY2018-19</td><td>3.96%</td><td>3.39%</td></tr><tr><td>Jan to Dec 2019</td><td>3.88%</td><td>4.72%</td></tr></table> <p>Source: RBI</p> <p>(झ) Provision coverage ratio rising to 77.5% in December 2019, from 62.7% in March 2018, reflecting increased resilience; and</p> <p>(ञ) Occurrence of frauds declining sharply, from a peak of 0.93% in FY2013-14 to 0.06% in FY2019-20 (as against 0.09% for private sector banks in FY2019-20). Details are as under:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Frauds occurred as percentage of gross advances</td></tr><tr><td></td><td>PSBs</td><td>Private Sector Banks</td></tr><tr><td>FY2017-18</td><td>0.235%</td><td>0.239%</td></tr></table>		Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances			PSBs	Private Sector Banks	FY2017-18	8.34%	4.73%	FY2018-19	3.96%	3.39%	Jan to Dec 2019	3.88%	4.72%		Frauds occurred as percentage of gross advances			PSBs	Private Sector Banks	FY2017-18	0.235%	0.239%		
	Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances																												
	PSBs	Private Sector Banks																											
FY2017-18	8.34%	4.73%																											
FY2018-19	3.96%	3.39%																											
Jan to Dec 2019	3.88%	4.72%																											
	Frauds occurred as percentage of gross advances																												
	PSBs	Private Sector Banks																											
FY2017-18	0.235%	0.239%																											

			<table><tr><td>FY2018-19</td><td>0.268%</td><td>0.294%</td></tr><tr><td>FY2019-20</td><td>0.065%</td><td>0.092%</td></tr></table>	FY2018-19	0.268%	0.294%	FY2019-20	0.065%	0.092%		
FY2018-19	0.268%	0.294%									
FY2019-20	0.065%	0.092%									
			Source: RBI								
			For vigorous pursuit of governance reforms for a resilient and vibrant banking system,--								
			(a) Governance reforms have been incorporated in the PSB EASE Reforms Agenda for FY2020-21 and are being tracked through an independent agency for ensuring their implementation;								
			(b) The Board committee system in PSBs has been rationalised and strengthened with—								
			(i) the Nominations Committee and Remunerations Committees being combined into a Nominations and Remunerations Committee in all banks;								
			(ii) Rationalisation of committees effected by six banks;								
			(iii) Entrustment of performance evaluation of the bank's Managing Director and Chief Executive Officer and all senior executives in nationalised banks to a Board committee;								
			(iv) Provision of adequate term for non-official directors on Management Committees to enable them to contribute effectively to credit decisions;								
			(v) Empowerment of the Risk Management Committee to fix accountability for compliance with the bank's risk appetite framework;								
			(c) Effectiveness of non-official directors (NODs) has been enhanced by—								
			(i) Giving them mandate to play role akin to that of								

			<p>independent directors;</p> <p>(ii) Institution of their peer evaluation;</p> <p>(iii) Initiation of their training;</p> <p>(iv) Enhancement of their sitting fees;</p> <p>(d) Empowerment of bank Boards to decide on institution of Chief General Manager (CGM) level and fix sitting fees in larger banks, and to recruit the bank's Chief Risk Officer (CRO) from the market at market linked compensation: the larger banks have already created the CGM cadre and enhanced sitting fees, and six PSBs have initiated the process of recruiting their CRO from the market; and</p> <p>(e) Institution of succession planning systems in banks, implemented through Individual Development Plans for senior management.</p>		
12	12	<p>The Committee observed that the functioning of the Bank Board Bureau (BBB) has still not been fully clarified. PSBs appear not to have world-class talent available for specialized functions such as risk management and new financial technologies. The BBB should assist PSBs in acquiring and retaining such</p>	<p>BBB has launched a Leadership Development Programme through the Indian Banks' Association, conducted by leading HR agencies/institutions, to impart quality leadership training tailored to the needs of senior PSB executives.</p> <p>In addition, a number of steps have been taken as part of the PSB EASE Reforms to this end, including, <i>inter alia</i>, the following:</p> <p>(a) to strengthen risk management, bank Boards have been empowered to recruit the bank's Chief Risk Officer from the market, on market-linked compensation;</p> <p>(b) as part of the PSB EASE Reforms Agenda for FY2020-21, PSBs have committed to creation of human resource for emerging banking and specialised roles (such as analytics, artificial</p>	Accepted	<p>As PSBs seek to streamline and expand their operations, closer assessment of human resources to ensure availability of sufficient management talent for them has been enabled</p>

		specialized talent. PSBs are also going through considerable turmoil because of the mega mergers; this will require even closer assessment of human resources to ensure that sufficient management talent is available for the PSBs as they seek to streamline and expand their operations.	<p>intelligence / machine-learning based solutions, FinTech/digital/payments, wealth management, risk and economics), and some banks have already recruited specialists;</p> <p>(c) bank Boards have instituted systems in banks for strength-based succession planning, being implemented through Individual Development Plans for grooming, training and developing management talent in identified areas; and</p> <p>(d) to equip banks with management talent based on assessment of human resources for carrying out and expanding operations in a streamlined manner,—</p> <p>(i) job families system has been created in PSBs to facilitate specialisation in middle management level for related job areas such as credit, risk and compliance, treasury and foreign exchange, information/digital technology, fintech and payments, etc.; and</p> <p>(ii) mandatory role-based e-learning programmes has been instituted for officers for ensuring continuous learning.</p>		through actions as detailed in action taken column.
13	13	PSBs continue to have very low price-book multiples and their market valuations remain depressed. The Committee noted that the PSBs do not appear to have differentiated strategies that will enable them to compete effectively.	The preambles to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts of 1970 and 1980 and the State Bank of India Act, 1955 commit PSBs to serve economic development in conformity with national policy and objectives, expand banking facilities on large scale particularly in underserved areas and fulfil other public purposes. In line with the legislative intent and policy, PSBs have played an important role in nation-building as the principal source of finance for several segments and areas insufficiently served by other lenders and financial markets, such as rural areas, weaker sections, agriculture, housing	Accepted	A comprehensive action plan, as detailed in action taken column, has been pursued to strengthen PSB competitiveness.

		<p>According to media reports, market share continues to decline in their most profitable activities. Apart from the mega mergers, the Department of Financial Services should also prepare a comprehensive plan on how to strengthen PSB competitiveness. Low valuations imply that banks will find it difficult to raise their equity base through the equity markets. As a result, if NPAs increase yet again due to adverse global trends, significant funding will be required from the government to keep PSBs appropriately funded.</p>	<p>and education. Major contributions include financial inclusion with opening of over 35 crore Jan Dhan accounts, massive banking network in rural and semi-urban areas, about 92% share in educational loans, credit to farmers through Kisan Credit Cards etc. Further, PSBs have been in the lead in lending for long-gestation projects for core industries and infrastructure. Such activities have relatively lower financial returns, but have high economic and social returns.</p> <p>While recognising the importance and the role of PSBs, Government has also recognised the need for greater competition to foster higher productivity and efficiency in the banking system and accordingly, through an amendment to the Banking Regulation Act in 1993, allowed the setting up of new private sector banks. As a result, the banking system in the country today has both public and private sector banks, which fulfil different objectives.</p> <p>The profile of customers catered to by PSBs and private sector banks is different. While the average savings account balance as on 31.3.2019 was about ₹ 24,000 even for the largest six PSBs by business size, this was ₹ 67,000 for the largest three private sector banks¹. While the higher income profile of the latter enables better business returns, the lower ticket-size of PSB business adds to their cost structure, impacting profitability.</p> <p>These differences notwithstanding, PSBs need to be competitive in offering banking services to all segments with good profitability so that they are better able to serve</p>		
--	--	---	--	--	--

¹FICCI-IBA Banking Annual Conference (FIBAC) Productivity Survey 2019

			<p>their customers and carry out policy objectives. To this end, Government has adopted a comprehensive approach of reforming PSBs to strengthen their competitiveness in key areas including through—</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) industry-benchmarked improvement in turnaround time; (2) industry-benchmarked improvements in digital banking services; (3) competitive pricing; (4) customer-need driven marketing strategy and reach; and (5) prudential lending and effective loan lifecycle management. <p>(1) <i>Turnaround time (TAT)</i>: Under the PSB EASE Reforms initiated in January 2018, TAT for retail credit has been systematically improved through initiatives like deployment of loan management systems and centralised processing hubs and the progress has been benchmarked against leading private sector banks. As per TransUnion CIBIL data for PSBs having business of over ₹ 5 lakh crore, TAT measured in terms of the interval between credit report inquiry from the credit information company and credit disbursement for six such PSBs (State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India and Bank of India) benchmarked against the four private sector banks of comparable business size (HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank and Kotak Mahindra Bank),</p>		
--	--	--	---	--	--

		<p>for the fourth quarter (Q4) of the financial year (FY) 2018-19, shows that PSBs are competitive vis-à-vis private sector peers. Details are as under:</p> <table><tr><th>Loan type</th><th>TAT for PSBs</th><th>TAT for private sector banks</th></tr><tr><td>Home loan</td><td>30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)</td><td>31.2 days</td></tr><tr><td>Automobile loan</td><td>7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)</td><td>17.7 days</td></tr><tr><td>Personal loan</td><td>9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)</td><td>20.9 days</td></tr></table> <p>Source: TransUnion CIBIL / IBA (EASE Reforms); for PSBs with business above ₹5 lakh crore and private sector banks with comparable business</p> <p>(3) <i>Digital banking services:</i> Mobile and Internet banking have been systematically improved in terms of number of services offered, customer-friendliness and local language customer-interface and benchmarked against leading private sector banks:</p> <table><tr><th>Mobile & Internet banking</th><th>PSB average For banks with business ≥ ₹ 5 lakh crore (March 2020)</th><th>Pvt. Sector bank average For banks with comparable business (March 2020)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Loan type	TAT for PSBs	TAT for private sector banks	Home loan	30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)	31.2 days	Automobile loan	7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)	17.7 days	Personal loan	9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)	20.9 days	Mobile & Internet banking	PSB average For banks with business ≥ ₹ 5 lakh crore (March 2020)	Pvt. Sector bank average For banks with comparable business (March 2020)				
Loan type	TAT for PSBs	TAT for private sector banks																			
Home loan	30.2 days (improved from 35.0 in Q4FY2017-18)	31.2 days																			
Automobile loan	7.4 days (improved from 13.2 in Q4FY2017-18)	17.7 days																			
Personal loan	9.1 days (improved from 14.2 in Q4FY2017-18)	20.9 days																			
Mobile & Internet banking	PSB average For banks with business ≥ ₹ 5 lakh crore (March 2020)	Pvt. Sector bank average For banks with comparable business (March 2020)																			

			<table><tr><td>Avg. Number of services</td><td>39</td><td>37</td></tr><tr><td>Avg. Customer-friendly features</td><td>120</td><td>94*</td></tr><tr><td>Avg. Local languages available</td><td>8</td><td>1</td></tr></table> <p>Source: EASE Reforms data (Indian Banks' Association) *as of June 2019</p> <p>(3) <i>Competitive pricing:</i> PSBs have generally been offering credit at rates of interest that are significantly more competitive than their private sector bank peers. Details are as under:</p> <table><tr><td></td><td>PSB median (as on 31.5.2020)</td><td>Private sector bank median (as on 31.5.2020)</td></tr><tr><td>One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)</td><td>7.83%</td><td>9.08%</td></tr></table> <p>Source: RBI</p> <p>(4) <i>Customer-need driven marketing strategy and reach:</i> PSBs have been the principal source of finance for several segments and areas insufficiently served by other lenders and financial markets, such as rural areas, weaker sections, agriculture, housing and education. Private sector banks, on the other hand, focus on serving the relatively better-off</p>	Avg. Number of services	39	37	Avg. Customer-friendly features	120	94*	Avg. Local languages available	8	1		PSB median (as on 31.5.2020)	Private sector bank median (as on 31.5.2020)	One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)	7.83%	9.08%		
Avg. Number of services	39	37																		
Avg. Customer-friendly features	120	94*																		
Avg. Local languages available	8	1																		
	PSB median (as on 31.5.2020)	Private sector bank median (as on 31.5.2020)																		
One-year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR)	7.83%	9.08%																		

			<p>class of customers. PSBs, while continuing to cater to the banking needs of the masses, also need to augment income and enhance profitability through competitiveness in those segments in which private sector banks have an edge. To this end, the following reform initiatives have been pursued under PSB EASE Reforms:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Sales force in the form of dedicated marketing officers in PSBs has doubled from 8,920 officers in March 2018 to 18,053 in March 2020. (b) Sourcing of loans through the salesforce and marketing tie-ups has quadrupled from 7% of the total loans sources in Q4 FY2017-18 to 31% in Q4 FY2019-20. (c) Cross-sell of non-banking financial products has made available bouquet of financial products to the customer. (d) Digital initiation of lending for retail and MSMEs has been launched through PSBloansin59minutes.com. (e) Trade Receivables Discounting System (TreDS) has been onboarded by all PSBs and PSBs are now competitively accessing the trade receivables discounting market. (f) A comprehensive agenda for smart, tech-enabled banking has been adopted for FY2020-21, under which, <i>inter alia</i>, PSBs have— <ul style="list-style-type: none"> (i) Initiated eShishu Mudra launched for straight-through processing of loans to micro-enterprises; (ii) Started providing customer-need driven credit offers through analytics; (iii) Begun instituting an integrated account 		
--	--	--	---	--	--

			<p>management framework for large corporates, with single-point relationship manager for seamlessly meeting their requirements across business verticals within the bank;</p> <p>(iv) Put in place advanced queue management systems in transaction-intensive branches, with single-window operations, to reduce customer waiting and transaction time; and</p> <p>(v) Introduced centralised processing hubs for faster time-bound processing and app-based loan application and offers for agricultural loans.</p> <p>(5) <i>Prudential lending and effective loan lifecycle management:</i> Weaknesses in appraisal and monitoring in PSBs resulted in poor asset quality, resulting in stressed financials that adversely impacted their ability to lend or to make investments to improve systems and expand products and services. These have been systemically addressed through—</p> <p>a. technology and data-driven risk assessment with prudential underwriting and pricing systems, for which—</p> <p>(i) Risk Scoring and Scrutiny Systems that comprehensively factor in third-party data and non-financial factors and provide for higher scrutiny of high-risk cases have been introduced in banks;</p> <p>(ii) adherence to risk-based pricing has been substantially improved; and</p> <p>(iii) improved credit policies have been adopted that provide for improved consortium lending, ring-</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>fencing of cash flows, and disbursement arrangements;</p> <p>b. setting up of loan management systems;</p> <p>c. introduction of Early Warning Signals (EWS) systems in banks, with ~80 EWS triggers including third-party data and workflow for time-bound remedial actions;</p> <p>d. specialised monitoring for time-bound action in case of stress and focussed recovery arrangements through Stressed Assets Management Verticals in banks which recovered ₹1.21 lakh crore in the preceding two financial years (till Q3 of FY2019-20), and have put in place one-time settlement platforms and portals, eBक्रय platform for online auction and eDRT for online recovery case management.</p> <p>Enabled by the reforms, there has been perceptible improvement in the financial performance of PSBs, with—</p> <p>a. Gross NPAs reducing from ₹ 8.96 lakh crore in March 2018 to ₹ 7.17 lakh crore in December 2019;</p> <p>b. Record recovery of ₹ 2.62 lakh crore being effected since March 2018 till December 2019;</p> <p>c. Fresh slippage into NPA reducing from a peak of 8.34% in FY2017-18 to 3.88% for the 12-month period ending December 2019 (as against 4.72% for private sector banks during the same period). Details are as under:</p> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances</th></tr><tr><th>PSBs</th><th>Private Sector Banks</th></tr><tr><td>FY2017-18</td><td>8.34%</td><td>4.73%</td></tr><tr><td>FY2018-19</td><td>3.96%</td><td>3.39%</td></tr></table>		Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances		PSBs	Private Sector Banks	FY2017-18	8.34%	4.73%	FY2018-19	3.96%	3.39%		
	Fresh slippages in last 12 months as percentage of opening standard advances															
	PSBs	Private Sector Banks														
FY2017-18	8.34%	4.73%														
FY2018-19	3.96%	3.39%														

			<table><tr><td>Jan to Dec 2019</td><td>3.88%</td><td>4.72%</td></tr></table> <p>Source: RBI</p> <p>d. Provision coverage ratio rising to 77.5% in December 2019, from 62.7% in March 2018, reflecting increased resilience; and</p> <p>e. Occurrence of frauds declining sharply, from a peak of 0.93% in FY2013-14 to 0.06% in FY2019-20 (as against 0.09% for private sector banks in FY2019-20).</p> <p>Details are as under:</p> <table><tr><td></td><td colspan="2">Frauds occurred as percentage of gross advances</td></tr><tr><td></td><td>PSBs</td><td>Private Sector Banks</td></tr><tr><td>FY2017-18</td><td>0.235%</td><td>0.239%</td></tr><tr><td>FY2018-19</td><td>0.268%</td><td>0.294%</td></tr><tr><td>FY2019-20</td><td>0.065%</td><td>0.092%</td></tr></table> <p>Source: RBI</p>	Jan to Dec 2019	3.88%	4.72%		Frauds occurred as percentage of gross advances			PSBs	Private Sector Banks	FY2017-18	0.235%	0.239%	FY2018-19	0.268%	0.294%	FY2019-20	0.065%	0.092%		
Jan to Dec 2019	3.88%	4.72%																					
	Frauds occurred as percentage of gross advances																						
	PSBs	Private Sector Banks																					
FY2017-18	0.235%	0.239%																					
FY2018-19	0.268%	0.294%																					
FY2019-20	0.065%	0.092%																					
14	14	<p>“The Committee note that FinTech is revolutionizing the global financial landscape. The Committee are also given to understand that tools such as Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) as well as Big Data provide banks the ability to recognize patterns quickly by</p>	<p>The Committee has recommended that AI and other technologies and services of Fintech be brought into mainstream banking operations of the country. In India, the banking and financial services sector has taken several initiatives in adoption of blockchain-based solutions, some of which are recounted below.</p> <p>i. In November 2017, Axis Bank launched instant international payment services using Ripple’s enterprise blockchain technology solution. The bank launched a service for its retail customers in India to receive payments from RakBank in UAE and for its corporate customers in India to receive payments from Standard Chartered Bank in Singapore (Axis</p>	Yes	----																		

		<p>analyzing vast data sets and activity that would be virtually impossible for humans, even using advanced information technology. The Committee believe that PSBs have the maximum leverage to gain from FinTech. It would therefore be expedient to explore ways and means to bring in the services/technology of FinTech in tandem with mainstream banking operations of the country. In this regard, the Committee are of the opinion that the emerging technologies/tool of Blockchain/crypto currencies, which provide a lot of flexibility in financial transactions, need to be evaluated in all their ramifications so that these technologies can be used safely and</p>	<p>Bank, 2017).</p> <p>ii. In November 2018, HSBC India and ING Bank Brussels successfully executed a blockchain enabled, live trade finance transaction jointly with Reliance Industries and Tricon Energy, with a digital transfer of the title of goods from the seller to the buyer in the underlying trade and the full digitization of the underlying trade. The end-to-end transaction was executed on R3's Corda blockchain platform. The Letter of Credit (LC) was issued by ING Bank for Tricon Energy USA (importer) with HSBC India as the advising and negotiating bank for Reliance Industries, India (exporter) (HSBC, 2018).</p> <p>iii. In July 2019, Yes Bank, as an issuing and paying agent (IPA), facilitated the issuance of a Commercial Paper (CP) of INR 100 crore using Block chain technology for Vedanta Limited, a natural resources conglomerate. This was the first time in Asia that a CP was digitally issued using Blockchain technology. The digital solution ensures an efficient, transparent and secure mechanism for CP issuance and redemption. This transaction was completed in partnership with MonetaGo, which built the solution using R3's Corda blockchain platform (Yes Bank, 2019).</p> <p>2) Public sector banks (PSBs) have also started leveraging AI and Machine Learning technologies. AI enabled chatbots such as the SBI Intelligent Assistant (SIA) chat assistant of State Bank of India (launched in 2017) are becoming popular. Such capabilities can either be developed in-house by PSBs, or through tie-ups with</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>gainfully in our country. The Committee would thus like to urge the Government to come out with a White Paper on the FinTech Industry, particularly in light of the recent Supreme Court Judgement upholding the validity of Cryptocurrency.”</p>	<p>Fintechs in our vibrant start-up ecosystem:</p> <ol style="list-style-type: none"> In order to derive maximum benefit from Fintech and emerging technologies, such as machine learning (ML), artificial intelligence (AI) and big data analytics, PSBs may be advised to earmark resources for creation of necessary technological infrastructure and capable human resources. Efficient usage of such technologies would require seamless recording and storage of large amounts of data pertaining to the business, investments, customers and employees of the bank. Thus, they may need to create appropriate "data warehouses" for storage and usage of data. Many private sector financial and non-financial firms already follow this practice. In order to develop human resources adept at leveraging these technologies, PSBs may identify such employees with necessary background and/or interest from their existing pool of employees/newly recruited candidates to receive training on these existing technologies. For training purposes, PSBs may enter into collaboration with Indian universities/colleges (IITs, IIMs, Indian Statistical Institute, IISc etc.) and also incentivize their staff to undertake training programmes on online training platforms (Coursera, Udemy, edX etc.). Such employees may be offered full reimbursements on successful completion of such courses and usage of these techniques in their work. An initial small team of employees may start working on applying such tools across business domains of the bank. 		
--	--	--	--	--	--

			<p>iv. Further, PSBs can get into partnerships and/or mutual arrangements with Fintech startups in the domain of payments, loan and investment products, credit scoring, etc. to leverage new-age technology in their business. The PSBs, on their own or as a group, may also setup their own "research and innovation labs" to create new banking products and also enhance the usage of emerging technologies (AI/ML/Big Data etc.) across business functions.</p> <p>3) RBI has set up a Regulatory Sandbox for issuing facilitative regulation to help the fast-developing Fintech sector. A regulatory sandbox refers to the live testing of new products or services in a controlled/test regulatory environment for which regulators may (or may not) permit certain regulatory relaxations for the limited purpose of the testing. It allows the regulator, the innovators, the financial service providers (as potential deployers of the technology) and the customers (as final users) to conduct field tests to collect evidence on the benefits and risks of new financial innovations, while carefully monitoring and containing their risks. It can provide a structured avenue for the regulator to engage with the ecosystem and to develop innovation-enabling or innovation-responsive regulations that facilitate delivery of relevant, low-cost financial products (RBI, 2019).</p> <p>4) The objective of RBI's Regulatory Sandbox is to foster responsible innovation in financial services, promote efficiency and bring benefit to consumers. The proposed financial service to be launched under the Sandbox should include new or emerging technology or use of existing technology in an innovative way and should address a problem and bring benefits to consumers. The</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>first cohort of applications considered for the Regulatory Sandbox were under the operational theme “retail payments” (Manikandan, 2019).</p> <p>5) In India, FinTech has the potential to provide workable solutions to the problems faced by the traditional financial institutions such as low penetration, lack of technology-adoption, scarce credit history and cash driven transaction economy. A collaborative participation from all stakeholders, viz. regulators, market players and investors need to be harnessed to ensure change in the Indian banking and financial services sector. The FinTech surge in India has been facilitated by the following factors: Aadhaar identity, banking penetration, mobile and wireless connection penetration, API for business and start-ups, increase in disposable income due to middle class expansion, government initiatives and policy initiatives in the payments space.</p> <p>6) The National Investment Promotion and Facilitation Agency, Invest India has categorised the FinTech industry in India into 4 major segments namely WealthTech, Payments, Lending and InsureTech. On the payments side, various developments have been observed in FinTech. One of the classic examples is the UPI platform developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), an application based electronic payment system enabled through a smart phone that uses a registered virtual address to make or receive payments which has revolutionized the mobile payments arena. UPI has since emerged as the fastest growing retail payment system in the world. In the payment space, various FinTech firms are operating as</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Prepaid Payment Instruments issuers, Bharat Bill Payment Operating Units, White Label ATMs etc. It is also seen from the figures for Q1-2020 that India has attracted maximum amount of investments in fintech in the world (overtaking China); Payments and Lending are the focus areas of the investments.</p> <p>7) At present, given the importance of FinTech in the financial sector, an exclusive Department is being set-up in the Reserve Bank to handle all activities related to FinTech. Further, the Payment and Settlement Systems Vision 2019-21 recognises the need for continued emphasis on innovation.</p> <p>8) The benefits and risks associated with DLT to banking and financial sector have been discussed in the RBI Annual Report 2016-17. The features of DLT could transform financial services and markets by reducing complexity, improving end-to-end processing speed, increasing transparency and improving immutability in transaction record keeping and network resilience, reducing operational and financial risks. This could largely reduce the need for reconciliation across multiple record-keeping infrastructures. However, DLT may pose new or different risks concomitant to operational and security issues arising from the technology, lack of inter-operability with existing processes and infrastructures and issues related to data integrity, immutability and privacy. As DLT is an evolving technology that has not yet been proven sufficiently robust for wide scale implementation, implementing across jurisdictions draws its own challenges on legal aspects.</p> <p>9) Incidentally, the Inter-Ministerial Committee on Crypto Currencies, in which RBI was a member, has also highlighted the positive aspects of DLT and suggested</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>various applications, especially in financial services, for use of DLT in India.</p> <p>10) In the Indian context, a Proof-of-Concept (PoC) was structured and customised by the IDRBT to facilitate the feasibility analysis of blockchain technology for Indian banking and finance sector with two use cases that highlight banking and consumer interaction: domestic trade finance with a sight letter of credit and Enhanced Information Payments (EIP). Overall, the PoC provided a good demonstration of the use-cases and helped to broaden the understanding of the technology and its potential to other real-life applications, but scalability and security aspects need to be studied in detail.</p> <p>11) While RBI is supportive of DLT and its applications in financial sector, RBI is wary of the risks associated with Virtual Currencies (VCs), one of the applications of DLT, and therefore, had cautioned the users, holders and traders of VCs on many occasions.</p> <p>12) The Standing Committee has recommended that the Government issue a White Paper on Fintech Industry. A whitepaper on FinTech industry would help us in understanding the extent of / potential for its adoption in the financial sector in the country and formulate appropriate regulatory and supervisory framework for the same. The Reserve Bank of India on its part has established a New Frontiers Unit within its Department of Economic and Policy Research to conduct relevant research into emerging fields like Blockchain, AI and Fintech. An article titled “Distributed Ledger Technology, Blockchain and Central Banks” was published in the RBI Bulletin (Roy et al., 2020).</p> <p><u>Sources:</u></p>		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Axis Bank (2017), “<i>Axis Bank launches Ripple-powered instant payment service for retail and corporate customers</i>”, Press Release, November 22 • HSBC (2018), “<i>HSBC and Reliance Industries execute first of its kind blockchain trade finance transaction</i>”, Press Release, November 4 • Manikandan, A. (2019), “<i>Retail Payments to be first cohort for testing under RBI sandbox</i>”, Economic Times, November 4 • RBI (2019), “<i>Enabling Framework for Regulatory Sandbox</i>”, Reserve Bank of India, August 13 • Roy, M., Dhal, S., and Priyaranjan, N.(2020), “<i>Distributed Ledger Technology, Blockchain and Central Banks</i>”, Reserve Bank of India Bulletin, February 11 • Yes Bank (2019), “<i>Yes Bank Implements Asia’s First Commercial Paper Issuance on Blockchain</i>”, Press Release, July 11 		
15	15	RuPay – a product of National Payments Corporation of India (NPCI): The RuPay is an indigenously developed payment system designed by NPCI to meet the expectation and needs of the Indian	National Payments Corporation of India (NPCI) has informed that it is working on building inter-regional partnerships to enhance the global acceptance of the product. The acceptance is built for RuPay Cards through “Network to Network” arrangements with international partners in different geographies. In its efforts to offer continued convenience and quality customer service, NPCI has strengthened its network capabilities by associating itself with trusted industry players such as Discover Financial Services (DFS) & Japan Credit Bureau International (JCBI). RuPay is currently issuing the international cards using DFS & JCBI BINs which are	Yes	Nil

		<p>consumer, banks and merchant ecosystem. It is the first-of-its-kind domestic Debit and Credit Card payment network of India with wide acceptance at ATMS; POS devices and websites across India. The Committee are happy to note that the "alliances with international network partners (Discover Financial Services, Japan Credit Bureau and China Union Pay) have been made, which provides valuable access to global acceptance and footprint, while offering world class</p>	<p>accepted at millions of ATMs/POS terminals/e-commerce merchants outside India on DFS/JCBI's network – 80 million RuPay international cards already issued. Currently, DFS has acceptance at 44 million merchant locations whereas JCBI has acceptance at 30 million merchant locations outside of India over 100 countries. RuPay is also currently working with Singapore, UAE, South Korea, Saudi Arabia, Bhutan, Bahrain and Maldives for bi-lateral arrangements.</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>payment solutions to RuPay cardholders. <i>The Committee desire that RuPay Card should thus be made fully global on par with other international brands.</i></p>			
16	16	<p>The Committee note that the budget allocation for National Infrastructure and Investment Fund (NIIF) and Viability Gap Funding for 2020-21 are Rs 503.01 crore and Rs 240.69 crore respectively. With regard to NIIF, the Committee desire to know the break up of the various sources to fund the allocation and also they desired to be apprised of the details of deployment of the fund allocated. As for the Viability Gap Funding, the</p>	<p>An amount of ₹ 500.01 crore has been provided under the Head 5465-01-190-40.00.54 in BE 2020-21. Further, an amount of ₹22049.98 crore has been provided under Major Head 5475 for 'Support for Infrastructure Pipeline.' Some investment into infrastructure projects will also be made from this fund.</p> <p>NIIF has also set up an Infrastructure Debt Financing Platform comprising of (a) Aseem Infrastructure Finance Limited ('AIFL') - a NBFC-Infrastructure Finance Company & (b) NIIF Infrastructure Finance Limited (NIIF IFL) – a NBFC Infrastructure Debt Financing Company. Both the NBFCs are registered with RBI. NIIF Strategic Opportunities Fund (one of the three funds set up under the NIIF platform) owns 100% of AIFL and ~89% of NIIF-IFL, directly and indirectly through AIFL as on 31 March 2020. NIIF, through its Strategic Opportunities Fund ('NIIF SOF') has already invested an amount of ~INR 1,899 crores into the NIIF Debt platform.</p> <p>The Department had moved a EFC proposal for 'Capital infusion by Government into the above mentioned NIIF</p>	Yes	Nil

		<p>Committee feel that the allocations of Rs 240.69 crore is far too low relatively in view of the projects pending completion in the country. The Committee desire that the Government should ensure that Viability Gap Funding should always be provided adequate budgetary allocation.</p>	<p>Infrastructure Debt Financing Platform'. As per the proposal, equity investment of an amount of INR 6,000 crores is being sought from the GOI from the INR.22,000 crore announced for the National Infrastructure Pipeline projects in Budget 2020-21. Out of the INR 6000 crore, INR 2000 crore has been sought for the FY 2020-21. It is expected that Government of India's investment will act as a catalyst for private investors including Pension Funds and Sovereign Wealth Funds to invest in the fund. The proposal has been approved by the EFC headed by Secretary, Department of Expenditure on 21.7.2020 and a Cabinet Note is being finalized for placing before the Cabinet for approval.</p> <p>Deployment of funds: NIIF has three funds i.e. National Investment and Infrastructure Fund (Master Fund), NIIF Fund of Funds-I and National Investment and Infrastructure Fund-II (or Strategic Opportunities Fund).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Master fund</i> focuses on investing in companies and projects in core infrastructure sectors such as transportation, energy, telecom, urban infra, etc. • The <i>Fund of Funds</i> focuses on investment into Funds managed by third party Fund Managers and the • <i>Strategic Opportunities fund</i> focuses on building businesses at scale, in sectors that are of strategic importance to the country. <p>GOI has committed INR ~20,000 crore across the above three funds.</p> <p>(A) Investors and Fund Raising</p>		
--	--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • NIIF's 3 funds have so far raised INR 28,821 crores of equity commitments from GoI and other investors.(Out of this, total foreign commitment is INR 8,257 Cr ,off which INR 5,259 cr was raised during 2019-20). Alongside the funds, investors have signed up for another approximately INR 20,000 crores in equity co-investments rights. • NIIF has raised equity capital from 2 Sovereign Wealth Funds, 3 international pension funds, 2 Multilateral Development Banks, 1 bilateral agency and 4 Indian financial groups. • NIIF's investors include global investors such as ADIA, Ontario Teachers' Pension Plan, Australian Super Fund, CPPIB, Temasek, AIIB and Asian Development Bank in Master Fund and FoF. • The equity capital raised through NIIF's funds is long-term (15 years +) and denominated in Indian Rupees – a unique combination which can serve the country well as investment opportunities arise. • Discussions are currently on with investors from Saudi Arabia, USA, Japan and Italy, which could result in substantial additional funds being raised. MoU signed with Saudi Arabia during the visit of Crown Prince in 2019 and all due diligence also completed subsequently, but its pending in Royal Court for approval of investment. <p>(B) Investments</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIIF has participated in a total of 9 JVs, 		
--	--	--	--	--	--

			<p>operating companies, and funds, through which it invests. All these platforms are in partnership with highly reputed Indian and international operators and managers including: DP World, CDC-UK, DFID-UK, PSP-Canada, EESL India, Zurich Airport Group, amongst others.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As of June 15, 2020, NIIF had committed a total of over INR 9,800 crores in investments and disbursed close to INR 4,700 crores. Alongside NIIF's investments, its operating partners have committed an additional INR 17,000 crores and disbursed over INR 7,000 crores. This multiplier effect is a crucial objective, as NIIF should use GOI's capital to attract in capital from others. <p>“Regarding adequate budgetary allocation for Viability Gap Funding (VGF) scheme, it is stated that the estimates for anticipated demand of VGF are made on the basis of projections by project sponsoring authorities. Moreover, VGF disbursement depends on factors including the Equity infusion by Concessionaire, Debt disbursed by Financial Institutions and factors impacting physical & financial progress of project, therefore, actual drawdown of funds under VGF scheme cannot be predicted accurately. No proposal was pending for VGF disbursement for want of allocation of funds in this scheme. In fact a fresh proposal for the continuation and revamping of VGF Scheme is under active consideration of the Government.</p>		
--	--	--	---	--	--

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड-अ (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रकाशित करने के लिए

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 44141
नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2018/वर्षांक 11, 1940
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/PARTIEA II, 1940

सूचना, नमू और मध्यम उद्यम मंत्रालय
प्रविवरण

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

कार.का. 5821(प).—केंद्रीय सरकार, सूचना, नमू और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा शक्त सन्निधियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियों, निरवका साधनार (जिनमें 500 करोड़ रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) से अधिक है और सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जो भारतीय रिजर्व बैंक की बतविषयता के अनुसार स्थापित हैं, जो देव रिजर्विषय विकास अधिनियम अधिनियम पर चलना होगा) प्रत्येक राज्य में कंपनियों के उद्दिष्टों अपनी सविशेषता के अधिनियम के अधिनियम द्वारा दृष्टिगत करने के अनुसार की निर्धारित करने के लिए सक्षम सविशेषता दृष्टि और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ऐसे अधिनियम के अनुसार की निर्धारित करने के लिए शक्त सरकार का लोक चर्चन विचार सक्षम अधिकार होगा।

प्रान्त. 18/8/2018-सीएचबी/नितिवी
एम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

S.O. 5621(P).—In exercise of powers conferred by section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government hereby issues the following instructions that all companies registered with the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with a turnover of more than Rs. 500 crore (suppose five hundred crore) and all Central Public Sector Enterprises shall be required to get themselves authorised on the Trade Receivables Discounting System platform, set up as per the notification of the Reserve Bank of India. The Registrar of Companies in each State shall be the competent authority to monitor the compliance of these instructions by companies under its jurisdiction and the Department of Public Enterprises, Government of India shall be the competent authority to monitor the compliance of such instructions by Central Public Sector Enterprises.]

6514 C/2018

Uploaded by Dir. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAM MOHAN MISRA, Addl. Secy and Development Commissioner

MANOJ

Digitally signed by
MANOJ CHAKRABARTY
DN: cn=MANOJ CHAKRABARTY,
o=GOVERNMENT OF INDIA,
c=IN

सचिव
A.K. Sharma
Secretary



अनुलग्नक-ख

APPENDIX-B



भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 011

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

UDYOG BHAWAN, RAFI MARG, NEW DELHI-110 011

D.O. No. 16/08/2018-P&G/Policy (Pt.II)

18th May, 2020

Dear Sir / Madam,

At the outset, I seek your good wishes on taking over as Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

You are aware that payment to the MSMEs is one of the biggest challenges which this sector is facing. Particularly, in the present situation, while overall supply chains has also been badly affected, release of the receivables from your Ministry / Department / Organisation would go a long way in restarting the economic cycle at the grass-root level. This will help in protecting jobs and livelihoods of lakhs of people. Release of this amount may also enable the MSMEs in production of certain essential medical and auxiliary items required in the fight against COVID 19. This will also lead to reduction in import of such items.

Concerned with the situation and looking towards the benefit of releasing these receivable payments, Hon'ble Finance Minister, while announcing the recent economic package, has specifically covered this point as one of the strategies to revive the MSME sector. As per the announcement dated 13.5.2020, such receivables have to be released by the Government agencies and PSUs within 45 days.

I am providing herewith a web-link of the details of payments which are due from the Organisations under your Ministry and also the PSUs attached to your Ministry. These are the cases where the MSMEs have filed the cases for payment as an option of last resort. But, there may be many more instances of delayed payments to several other MSMEs who have not lodged such complaints.

I request for your intervention and direction to all the organizations under the control of your Ministry to fulfill the announcement from Hon'ble Finance Minister to release the payments immediately. I also take this opportunity to request you to see that the agencies and PSUs attached to your Ministry also join and transact on the TReDS platform designed for discounting of bills of MSMEs and operated by the TReDS Exchanges as approved by the Department of Financial Services.

Once again, I seek your cooperation and request you to kindly see that the payments due to MSMEs are released at the earliest. We will be happy to share more details in this regard. The details can also be accessed on our portal <https://samadhiyan.msme.gov.in>.

With kind regards,

Yours sincerely,

(A.K. Sharma)

To

All Secretaries to the GOI